क्रम संख्या–18 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई0
माघ 11, 1926 सम्वत्

उत्तराखण्ड ासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 422 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005
देहरादून, दिनांक 31 जनवरी, 2005
अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 29 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की ओर वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, सन्, 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन)
अधिनियम, 2005
(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 11, सन् 2005
(भारत गणराज्य के पंचपनवें वर्श में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए
अधिनियम

संक्षिप्त नाम	1– यह अधिनियम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन)
मूल अधिनियम की धारा 54 का संशोधन	2– उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 जिसे यहां पर मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 54 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:– (2) उपाध्यक्ष की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्श छः माह या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की `श अवधि, इसमें जो भी कम हो; होगी। (3) उक्त उपधारा (2) के उपबन्ध ऐसे किसी उपाध्यक्ष पर भी लागू होंगे, जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोशित किये हों

मूल अधिनियम (संख्या 2 सन्, 1916) की धारा 47–क का निकाला जाना	3– मूल अधिनियम की धारा 47–क निकाल दी जायेगी।
धारा 48 का संशोधन	4– मूल अधिनियम की धारा 48 में– (क) उपधारा (2) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (सात के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगेः– अर्थात्– (नौ) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचायी हो; या (दस) नगरपालिका की निधि का दुर्विनियोग या दुरूपयोग किया है; या (ग्यारह) नगरपालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या (बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया है; या (तेरह) नगरपालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि किसी बैठक में नगरपालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है, या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है; या (चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश का निर्देश का जानबुझकर उल्लंघन किया है; या (पन्द्रह) नगरपालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है; या (सोलह) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति या उसके बाजार मूल्य पर व्ययन किया है; या (सत्रह) नगरपालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है। (ख) उपधारा (2–क) में परन्तुक निकाल दी जायेगी।
धारा 87–क का निकाला जाना	5– मूल अधिनियम की धारा 87–क निकाल दी जायेगी।
मूल अधिनियम की धारा 98 का संयोधन	6– मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में– (क) ब्द ''दस हजार रूपये'' के स्थान पर ब्द ''पचास हजार रूपये'' रख दिये जायेंगे, (ख) ब्द ''तीन हजार रूपये'' के स्थान पर ब्द ''पन्द्रह हजार रूपये'' रख दिये जायेंगे, (ग) परन्तुक में ब्द ''बीस हजार रूपये'' के स्थान पर ब्द ''एक लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे,

आज्ञा से,

आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 422/Vidhayeo & Sanadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 31, 2005

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 11 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29-1-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916)
(THIRD AMENDMENT) ACT, 2005
(The Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 11 of 2005)

[Enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth year of the Republic of India]

Further to amend the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Adaptation and Modification Order, 2002

An

Act

1. The act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (third Amendment) Act, 2005		Short Title
2. in Section 54 of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Adaptation and Modification Order, 2002 hereinafter referred to as the Principal act, in sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely:-		Amendment of Section 54 of the Principal Act
(2) the term of office of a Vice-Chairman shall be two years and six months from the date of his election or the residue of his term as a member, whichever is less.		

(3) the provision of aforesaid sub-section (2) shall also apply to the Vice-chairman, who is declared elected in the last election.		
3. Section 47-A of the Principal Act shall be omitted		Omission of Section 47-A of the Principal Act, (Act No. 2 of 1916)
4. In Section 48 of the Principal Act-		Amendment of Section 48
(a) in sub-section (2), in clause (b) after sub-section (viii), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-		
(ix) causes loss or damage to any property of the Municipality; or		
(x) misappropriated or misused the Municipal fund; or		
(xi) acted against the interest of the Municipalities; or		
(xii) created an obstacle in a meeting of the Municipality in such manner that if becomes impossible for the Municipality to conduct its business in the meeting or instigated some one to do so; or		
(xiv) willfully contravened any order or direction of the State Government given under this Act; or		
(xv) misbehaved without any lawful justification with the officers or employees of the Municipality; or		
(xvi) disposed off any property belonging to the Municipality for a price less than its market value; or		
(xvii) encroached, or assisted or instigated any other person to amoroso upon the land, building or any other immovable property of the Municipality,		
(b) In sub-section (2-A) the proviso shall be omitted		

5. Section 87-A of the principal Act shall be omitted.		Omission of Section 87-A
6. In section 96 of the Principal Act, in sub-section (1) in clause (b)		Amendment of Section 96 of the Principal Act
(a) for the words “ten thousand rupees” the words “fifty thousand rupees” shall be substituted		
(b) for the words “three thousand rupees” the words “fifteen thousand rupees” shall be substituted		
(c) in the proviso for the words “twenty thousand rupees” the word “one lakh rupees” shall be substituted		

By order

I.J. MALHOTRA
Principal Secretary

क्रम संख्या–18 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)
देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई0
माघ 11, 1926 सम्वत्

उत्तराखण्ड ासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 422/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, दिनांक 31 जनवरी, 2005

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 29 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की ओर वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, सन्, 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन)

अधिनियम, 2005

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12, सन् 2005)

(भारत गणराज्य के पंचपनवें वर्श में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए अधिनियम

संक्षिप्त नाम	1– यह अधिनियम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए
उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर निगम, अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 15 में संशोधन	2– उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे यहां मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्– ''(ख) उपनगर प्रमुख की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्श और छः माह या सभासद के रूप में ेश कार्यकाल के लिए, जो भी कम हो, होगी।

	(ग) खण्ड (ख) के उपबन्ध ऐसे किसी उपनगर प्रमुख पर भी लागू होगें जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोशित किये गये हों।''
मूल अधिनियम की धारा 16 में संशोधन न	4– मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्न रख दिया जायेगा :– (1) जहां राज्य सरकार का यह विश्वास करने का कारण हो कि– (क) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख की तरफ से अपने कर्तव्यों के निश्पादन में कोई चूक हुई है; (ख) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख ने– (एक) धारा 11 और 25 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत कर ली है; या (दो) धारा 463 के अर्थान्तर्गत निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हेा या किसी अन्य प्रकार का हो, जान–बुझकर अर्जित किया है; या (तीन) जान–बुझकर किसी ऐसे मामलें में, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित हो, चाहे व धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार हो या जिसमें किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर उसका वृत्तिक रूप में निहित था, या नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में जान–बुझकर किसे ऐसे मामलें, कार्य किया है, या (चार) निगम के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से नगर निगम के विरूद्ध या राज्य सरकार के विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से जिसके विरूद्ध नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है; या (पाचं) नगर निगम के नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास सथान को परित्याग कर दिया है; या (छः) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोशी रहा है; या (सात) निगम के चालू या पूर्ववर्ती कार्यकाल में नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में या किसी अवधि के सभापति या सभासद के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, चाहे जो भी हो, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरूपयोग किया है, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम, विनियम या उपविधि का जान–बुझकर उल्लंघन किया है, या निगम की निधि या सम्पत्ति को हानी, या क्षति पहुंचायी है जो उसे नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख बने रहने के अयोग्य बना देती है; या (आठ) किसी अन्य अवचार का दोशी है चाहे ऐसा अवचार उसने नगर प्रमुख के रूप में या उपनगर प्रमुख के रूप में या सभासद के रूप में किया हो; या (नौ) निगम के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या (दस) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि किसी निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असंभव हो जाता है, या ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है; या

	(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश का निर्देश का जान–बुझकर उल्लंघन किया है; या (बारह) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है; या (तेरह) निगम की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या दुष्प्रेरित किया है, तो उससे नोटिस में विर्निदिष्ट अवधि के भीतर या कारण बताने की अपेखा कर सकेगी कि क्यों न उसे पद से हटा दिया जाये। (2) राज्य सरकार, नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, कारणों को अभिलिखित करते हुए नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख को उसके पद से हटा सकेगी। (3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी। (4) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख, सभासद भी नही रह सकेगा और उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्श की अवधि तक नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।''
मूल अधिनियम की धारा 51 का संशोधन	6– मूल अधिनियम की धारा 51में– (क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् ''(2) उपनगर प्रमुख कार्यकारिणी समिति का पदेन उपसभापति होगा।'' (ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,
आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 423/Vidhayeo & Sanadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 31, 2005

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 12 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 29, 2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ACT, 1959) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002) (THIRD AMENDMENT) ACT, 2005
(The Uttaranchal Act 12 of 2005)

[Enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth year of the Republic of India]
Further to amend the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002
An
Act

Short Title		1. The act may be called the the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (third Amendment) Act, 2005
Amendment of Section 15 of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959)		2. In clause (b) of Sub-section (1) of sectin 15 of the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (hereinafter referred to as the Principal act) following clauses shall be substituted, namely-
		"(b) the term of office of Deputy Mayor shall be for period of two years and six months from the date of his

		election or the residue of his term as a Corportor, whichever is less.
		(c) the provisions of clause (b) shall also apply to a Deputy Mayor, who is declared elected in his last election.
Amendment of Section 16 of the Principal Act		3. In Section 16 of the Principal Act the following shall be substituted namely-
		(1) Where the State Government has reason to believe that -
		(a) There has been any default on the part of the Mayor or Deputy Mayor in the discharge of his duties;
		(b) The Mayor or Deputy Mayor has-
		(i) Acquired any disqualification mentioned in section 11 and 25; or
		(ii)Intentionally earned any share or interest, whether financial or otherwise, directly or indirectly by him or on his behalf or by any partner in any contract with the Nagar Nigam or any employment in the Nagar Nigam under section 463; or
		(iii) As a Mayor or Deputy Mayor or Corporator intentionally worked in any such matter in which he or his partner has directly or indirectly has any share or interest, whether financial or otherwise or had professional interest on behalf of any client, owner or any other person; or
		(iv)Against the Nagar Nigam or the State Government attended as a lawyer and worked on behalf of any individual in any suit or other legar proceedings in connection with any nazul land under the management of the Nagar Nigam, worked or attended ay criminal proceeding on behalf of any such person against whom any criminal proceeding has been instituted by him or the Nagar Nigam; or
		(v) Has vacated his usual place of residence under municipal area of the Nagar Nigam, or
		(vi) Has been quilty of misconduct in discharge or his duties; or
		(vii) Has grossly misused his office as Mayor or Deputy Mayor during the current or earlier term of the Nagar Nigam acting as Chairman or Corporator or in any other capacity whatsoever, during any period or intentionally acted in contravention or any provision of this Act, or any rule,

		regulation or bylaw or caused such damage or loss to the fund or the property of the Nagar Nigam which disqualifies him to continue as Mayor or Deputy Mayor, or
		(viii) He is quilty of any other misconduct whether such act has been done as a Mayor or Deputy Mayor or Corporator; or
		(ix) Has acted against the interest of the Nagar Nigam; or
		(x) Has obstructed any meeting of the Nagar Nigam in such manner that the conduct of the meeting becomes impossible or abetted any one to do so; or
		(xi) Has intentionally acted in contravention of any order or direction of the State Government issued under Act; or
		(xii) Misbehaved with the officers or employees of the Nagar Nigam without any valid reason; or
		(xiii) Disposed or any property of the Ngar Nigam for a price less than its market value; or
		(xiv) Encroached upon any land, building or any other immovable property of the Nagar Nigam or assisted or abetted any other person for such an enecoachment.
		The State Government any require him to show cause within the period specified in the notice that why he should not be removed from his post.
		(2) The State Government after considering the explanation submitted by the Mayor or Deputy Mayor or after such inquiry as may be deemed necessary recording the reasons may remove the Mayor or Deputy Mayor from such post.
		(3) any order issued by the State Government under sub-section (2) shall be final and no objection shall be raised against it in any court of law.
		(4) The Mayor or Deputy mayor removed under sub-section (2) not remain even as Corporator and shall not be eligible for re-elction a Mayor or Deputy Mayor for a period of 5 years, from the date of his removal on any ground under clause (a) and (b) of sub-section (1).

Amendment of Section 51 of the Principal Act		4. In section 51 of the Principal Act :-
		(a) The following sub-section shall be substituted for sub-section (2), namely-
		"(2) The Deputy Mayor shall be ex-officio Chairman of the Executive Committee."
		(b) Sub-section (3) shall be omitted.

By order

I.J. MALHOTRA
Principal Secretary

क्रम संख्या–154 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, निवार, 30 अगस्त, 2003 ई0
भाद्रपद्र 08, 1925 सम्वत्
उत्तराखण्ड ासन

हरी विकास/आवास अनुभाग
संख्या 1412/श0वि0आ0–2003–285 (श0वि0)/2002
देहरादून, दिनांक 30 अगस्त, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों, सहित पुनः अधिनियमन अधिनियम, 1974) (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम सं0 11, सन् 1973) की धारा 39 की उपधारा (2) स्थापित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन क्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश ासन की अधिसूचना संख्या यू0ओ0117/9–आ0–5–95–10 (2)/93 टी0सी0, दिनांक 11 अगस्त, 1995 का आंशिक परिष्कार करते हुए श्री राज्यपाल आदेश देते हैं कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वसूल किये गये 2% स्टाम्प ुल्क का आवंटन एवं भुगतान अनुशांगिक व्ययों, को यदि कोई हो, घटाने के पश्चात् निम्नलिखित अनुपात में किया जायेगाः

(क) जहां पर निगम/नगरपालिका परिशद, नगर पंचायत एवं विकास प्राधिकरण हो–

1– यथा स्थिति विकास प्राधिकरण : 0.75

2– नगर निगम/नगरपालिका परिशद/नगर पंचायत : 1.25

(ख) जहां पर नगर निगम/नगरपालिका परिशद/नगर पंचायत हो, वहां पर सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् 2.0 प्रतिशत सम्बन्धित नगर निगम/नगरपालिका परिशद/नगर पंचायत जैसी भी स्थिति हो, को देय होगी।

किन्तु जहां पर किसी स्थानीय निकाय में एक मात्र अधिकारिता है, यहां पर उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वसूली की धनराशि प्रापत करने की एक मात्र अधिकार उस स्थानीय निकाय का होगा।

जहां पर स्थानीय निकाय के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण हैं, वहां यह धनराशि उपरोक्त अनुपात में वितरित की जाएगी, परन्तु यदि किसी खेत्र विशेश में केवल प्राधिकारण/विशेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक मात्र अधिकारिता है, तो वहां पर उसके अधिकारिता के अन्तर्गत वसूली की धनराशि प्राप्त करने का एक मात्र अधिकार सम्बन्धित प्राधिकरण को होगा।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ासन द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 3031–ए/श0वि0आ0– 02/2002, दिनांक 8–11–2002 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

पी0के0 महान्ति,
सचिव।

क्रम संख्या–160

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 15 सितम्बर, 2003 ई0
भाद्रपद 24, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

शहरी विकास एवं आवास अनुभाग

संख्या 2312/शा0वि0–आ0–2003–261 (शा0वि0)/2003
देहरादून, 15 सितम्बर, 2003

अधिसूचना

प0 आ0–132

उत्तरांचल (उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 50 की उपधारा (2–क) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उत्तरांचल राज्य में स्थित नगर निगम, देहरादून के उप नगर प्रमुख के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित समय–सारणी निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–
श्री राज्यपाल निम्नलिखित समय–सारणी निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	कार्यक्रम	तिथि
1.	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया जाना	15 सितम्बर, 2003
2.	आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किया जाना	16 सितम्बर, 2003
3.	जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना जारी किया जाना	18 सितम्बर, 2003
4.	नामांकन	25 सितम्बर, 2003
5.	नामांकन–पत्रों की जांच	25 सितम्बर, 2003
6.	नामांकन वापसी	26 सितम्बर, 2003
7.	मतदान	03 अक्टूबर, 2003
8.	मतगणना	03 अक्टूबर, 2003

आज्ञा से,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव।

–2003–754–50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–152

रजिस्ट्रीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2003 ई०
भाद्रपद 07, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आवास/शहरी विकास अनुभाग

संख्या 2140/शा०वि०आ०–03–261 (शा०वि०)/2002
देहरादून, 29 अगस्त, 2003

अधिसूचना

पी० आ०–122

उत्तरांचल (उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 10 व उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 (उत्तरांचल राज्य में यथाप्रवृत्त) में निहित प्रावधानों के अनुसार उत्तरांचल के एक मात्र नगर निगम, देहरादून के उपनगर प्रमुख का पद सामान्य वर्ग का निर्धारित करते हुए नियमावली के नियम 7(2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना संख्या 1965/शा०वि०आ०–2003–261 (शा०वि०)/2002, दिनांक 01 अगस्त, 2003 द्वारा समस्त सर्वसाधारण से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। उक्त अधिसूचना के आधार पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त एवं निराकरणोपरान्त उक्त नियमावली के नियम 7(3) की अपेक्षानुसार श्री राज्यपाल देहरादून स्थित नगर निगम, देहरादून के उपनगर प्रमुख का पद सामान्य घोषित करते हैं।

आज्ञा से,

पी० के० महान्ति,
सचिव।

पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) 24 आ०शा०वि०/327–2003–75+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–153

रजिस्ट्रीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2003 ई0
भाद्रपद 07, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
शहरी विकास एवं आवास अनुभाग

संख्या 2129/श0वि0–आ0–03–261 (श0वि0)/2003
देहरादून, 29 अगस्त, 2003

अधिसूचना

प0 आ0–123

उत्तरांचल (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 9–क(5) सपठित उत्तरांचल (उ0प्र0 नगरपालिका) स्थानों एवं पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली, 2002 (पंचम संशोधन) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम 6–क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषदों के ज्येष्ठ उपाध्यक्षों एवं कनिष्ठ उपाध्यक्षों एवं नगर पंचायतों के उपाध्यक्षों के पदों का आरक्षण किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या 1965(1)/श0वि0–आ0–03–261 (श0वि0)/2002, दिनांक 11 अगस्त, 2003 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 7 के उपनियम 2 में की गयी अपेक्षानुसार सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। उक्त अधिसूचना द्वारा प्राप्त समस्त आपत्ति एवं सुझावों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त श्री राज्यपाल उत्तरांचल की समस्त नगरपालिका परिषदों के ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ उपाध्यक्षों तथा नगर पंचायतों के उपाध्यक्षों के पदों का आरक्षण क्रमशः संलग्न अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची–1

क्र० सं०	जनपद का नाम	नगरपालिका परिषद् का नाम	ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के आरक्षण का वर्ग	कनिष्ठ उपाध्यक्ष के आरक्षण का वर्ग
1.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	अनारक्षित	अनारक्षित
2.	चमोली	जोशीमठ	अनारक्षित	अनारक्षित
3.		चमोली–गोपेश्वर	अनु० जाति	पिछड़ी जाति
4.	टिहरी	टिहरी	महिला	अनु० जाति
5.		नरेन्द्रनगर	अनारक्षित	अनारक्षित
6.	पौड़ी	पौड़ी	महिला	अनु० जाति
7.		श्रीनगर	महिला	अनु० जाति
8.		दुगड्डा	अनारक्षित	अनारक्षित
9.		कोटद्वार	महिला	अनु० जाति
10.	देहरादून	विकासनगर	अनारक्षित	अनारक्षित
11.		मसूरी	महिला	अनु० जाति
12.		ऋषिकेश	अनारक्षित	अनारक्षित
13.	हरिद्वार	हरिद्वार	अनारक्षित	अनारक्षित
14.		रुड़की	अनारक्षित	अनारक्षित
15.		मंगलौर	अनारक्षित	अनारक्षित
16.	ऊधमसिंह नगर	जसपुर	अनारक्षित	अनारक्षित
17.		काशीपुर	अनारक्षित	अनारक्षित
18.		गदरपुर	अनारक्षित	अनारक्षित
19.		खटीमा	अनारक्षित	अनारक्षित
20.		रुद्रपुर	अनु० जाति	पिछड़ी जाति
21.		बाजपुर	पिछड़ी जाति	महिला
22.		किच्छा	पिछड़ी जाति	महिला
23.		सितारगंज	पिछड़ी जाति	महिला
24.	नैनीताल	नैनीताल	अनारक्षित	अनारक्षित
25.		भवाली	अनारक्षित	अनारक्षित
26.		रामनगर	अनारक्षित	अनारक्षित
27.		हल्द्वानी	अनारक्षित	अनारक्षित
28.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	महिला	अनु० जाति
29.	बागेश्वर	बागेश्वर	अनारक्षित	अनारक्षित
30.	चम्पावत	टनकपुर	अनारक्षित	अनारक्षित
31.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	अनारक्षित	अनारक्षित

अनुसूची–2

क्र० सं०	जनपद का नाम	नगर पंचायत का नाम	उपाध्यक्ष के आरक्षण का वर्ग
1.	उत्तरकाशी	बड़कोट	अनारक्षित
2.	चमोली	पोखर	अनारक्षित
3.		नन्दप्रयाग	अनारक्षित
4.		कर्णप्रयाग	महिला
5.	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	महिला
6.	टिहरी	कीर्तिनगर	अनारक्षित
7.		देवप्रयाग	अनारक्षित
8.		चम्बा	अनारक्षित
9.		मुनि–की–रेती	महिला
10.	देहरादून	हरबर्टपुर	अनु० जाति
11.		डोईवाला	अनारक्षित
12.	हरिद्वार	लण्ढौरा	अनारक्षित
13.		झबरेडा	अनारक्षित
14.		लक्सर	अनु० जाति
15.	ऊधमसिंह नगर	महुआखेड़ागंज	अनारक्षित
16.		महुआडाबरा–हरिपुरा	अनारक्षित
17.		सुल्तानपुर पट्टी	अनारक्षित
18.		केलाखेड़ा	पिछड़ी जाति
19.		दिनेशपुर	अनारक्षित
20.		शक्तिगढ़	महिला
21.	नैनीताल	भीमताल	अनारक्षित
22.		कालाढूंगी	पिछड़ी जाति
23.		लालकुआं	अनारक्षित
24.	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	अनारक्षित
25.	चम्पावत	चम्पावत	अनारक्षित
26.		लोहाघाट	अनारक्षित
27.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	अनारक्षित
28.		धारचूला	अनारक्षित

आज्ञा से,

पी० के० महान्ति,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 25 असाधारण/328–2003–75+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–100 (ग 10) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, ुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्
उत्तराखण्ड ासन

आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1077 / श0वि0–आ0 / 2002–238 (न0वि0) / 2002

देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड ासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र और अपील कर ुल्क) नियमावली, 1983 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्श निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र और अपील ुल्क) नियमावाली, 1983 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र और अपील ुल्क) नियमावाली, 1983} अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र और अपील ुल्क) नियमावाली, 1983} अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त ीर्शक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र और अपील ुल्क) नियमावाली, 1983 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉ–वहॉ वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English

translation of notification no. 1077A/S.V/2002-238 S.V./2000, dated November 08, 2002 for general information:

.

No. 1077 A/S.V.-2002-238 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaracnhal Government may by order, make such Adaptation and Modification of the law, by way of repeal or permission as necessary or expedient;

AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on application for permission and on Appeal) Rules, 1983 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on application for permission and on Appeal) Rules, 1983 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions or the following order:-

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (FEE ON APPLICATION FOR PERMISSION AND ON APPEAL) RULES, 1983] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement	1.	(1) This order may be called the Uttaracnhal [The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on application for permission and on Appeal) Rules, 1983] Adaptation and Modification Order, 2002 (2) It shall come into force at once.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"	2.	In the Uttar Pradesh [The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on application for permission and on Appeal) Rules, 1983] wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By order
(P.K. MOHANTY)
Secretary

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1077A/S.V/2002-238 S.V./2000, dated November 08, 2002 for general information:

.

No. 1077 A/S.V.-2002-238 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaracnhal Government may by order, make such Adaptation and Modification of the law, by way of repeal or permission as necessary or expedient;

AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on application for permission and on Appeal) Rules, 1983 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on application for permission and on Appeal) Rules, 1983 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions or the following order:-

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (FEE ON APPLICATION FOR PERMISSION AND ON APPEAL) RULES, 1983] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement	1.	(1) This order may be called the Uttaracnhal [The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on application for permission and on Appeal) Rules, 1983] Adaptation and Modification Order, 2002 (2) It shall come into force at once.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"	2.	In the Uttar Pradesh [The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Fee on application for permission and on Appeal) Rules, 1983] wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By order

(P.K. MOHANTY)
Secretary

क्रम संख्या–190 (ग–14) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, क्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्

उत्तराखण्ड ासन
आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1075 / श0वि0–आ0 / 2002–238 (न0वि0) / 2002
देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड ासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्श निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960} अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960} अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त ीर्शक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉ–वहॉ वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English

translation of notification no. 1075A/S.V/2002-238 S.V./2000, dated November 08, 2002 for general information:

.

No. 1075 A/S.V.-2002-238 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaracnhal Government may by order, make such Adaptation and Modification of the law, by way of repeal or permission as necessary or expedient;

AND, WHEREAS the Uttar Pradesh (Regulations of Building Operation) Directions, 1960 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh (Regulations of Building Operation) Directions, 1960 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions or the following order:-

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH (REGULATIONS OF BUILDING OPERATION) DIRECTIONS, 1960] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement	1.	(1) This order may be called the Uttaracnhal [The Uttar Pradesh (Regulations of Building Operation) Directions, 1960] Adaptation and Modification Order, 2002 (2) It shall come into force at once.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"	2.	In the Uttar Pradesh [The Uttar Pradesh(Regulations of Building Operation) Directions, 1660] wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By order

(P.K. MOHANTY)
Secretary

क्रम संख्या–190 (ग–12) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, क्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्
उत्तराखण्ड ासन

आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1073 / श0वि0–आ0 / 2002–270 (न0वि0) / 2002

देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड ासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्श निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966} अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966} अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त ीर्शक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉ–वहॉ वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1073 A/S.V/2002-270 S.V./2000, dated November 08, 2002 for general information:

.

No. 1073 A/S.V.-2002-270 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaracnhal Government may by order, make such Adaptation and Modification of the law, by way of repeal or permission as necessary or expedient;

AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Nagar Palika (Centralised) Service Rules, 2000 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Nagar Palika (Centralised) Service Rules, 2000 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions or the following order:-

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH NAGAR PALIKA (CENTRALISED) SERVICE RULES, 2000] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement	1.	(1) This order may be called the Uttaracnhal [The Uttar Pradesh Nagar Palika (Centralised) Service Rules, 2000] Adaptation and Modification Order, 2002 (2) It shall come into force at once.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"	2.	In the Uttar Pradesh [The Uttar Pradesh Nagar Palika (Centralised) Service Rules, 2000] wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By order

(P.K. MOHANTY)
Secretary

क्रम संख्या–190 (ग–11) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, ुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्
उत्तराखण्ड ासन

आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1071 / श0वि0–आ0 / 2002–270 (न0वि0) / 2002

देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड ासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना, और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्श निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना, और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना, और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994} अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना, और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994} अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त ीर्शक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना, और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉ–वहॉ वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1071 A/S.V/2002-270 S.V./2000, dated November 08, 2002 for general information:

No. 1071 A/S.V.-2002-270 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaracnhal Government may by order, make such Adaptation and Modification of the law, by way of repeal or permission as necessary or expedient;

AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Municipal Board (Preparation & Revision of Electoral Roll) Rules, 1994 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Municipal Board (Preparation & Revision of Electoral Roll) Rules, 1994 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions or the following order:-

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL BOARD (PREPARATION & REVISION OF ELECTORAL ROLL) RULES, 1994] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement	1.	(1) This order may be called the Uttaracnhal [The Uttar Pradesh Municipal Board (Preparation & Revision of Electoral Roll) Rules, 1994] Adaptation and Modification Order, 2002 (2) It shall come into force at once.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"	2.	In the Uttar Pradesh [The Uttar Pradesh Municipal Board (Preparation & Revision of Electoral Roll) Rules, 1994] wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By order

(P.K. MOHANTY)
Secretary

क्रम संख्या–190 (ग–9) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, ुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्
उत्तराखण्ड ासन
आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1070 / श0वि0–आ0 / 2002–270 (श0वि0) / 2002
देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड ासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक अपील नियमावली, 1967 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्श निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक अपील नियमावली, 1967 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक अपील नियमावली, 1967} अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक अपील नियमावली, 1967} अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त ीर्शक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक अपील नियमावली, 1967 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉ–वहॉ वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1070 A/S.V/2002-270 S.V./2000, dated November 08, 2002 for general information:

No. 1070 A/S.V.-2002-270 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaracnhal Government may by order, make such Adaptation and Modification of the law, by way of repeal or permission as necessary or expedient;

AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Municipal Board Servant Appeal Rules, 1967 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Municipal Board Servant Appeal Rules, 1967 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions or the following order:-

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL BOARD SERVANT APPEAL RULES, 1967] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement	1.	(1) This order may be called the Uttaracnhal [The Uttar Pradesh Municipal Board Servant Appeal Rules, 1967] Adaptation and Modification Order, 2002 (2) It shall come into force at once.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"	2.	In the Uttar Pradesh [The Uttar Pradesh Municipal Board Servant Appeal Rules, 1967] wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By order

(P.K. MOHANTY)
Secretary

क्रम संख्या–190 (ग–8) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

देहरादून, ुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्

उत्तराखण्ड ासन
आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1067 / श0वि0–आ0 / 2002–270 (न0वि0) / 2002
देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड ासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक आचरण विनियम, 1959 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्श निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक आचरण विनियम, 1959 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक आचरण विनियम, 1959} अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक आचरण विनियम, 1959} अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त ीर्शक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक आचरण विनियम, 1959 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉ–वहॉ वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English

translation of notification no. 1067 A/S.V/2002-270 S.V./2000, dated November 08, 2002 for general information:

No. 1067 A/S.V.-2002-270 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaracnhal Government may by order, make such Adaptation and Modification of the law, by way of repeal or permission as necessary or expedient;

AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Municipal Servant Conduct Regulations, 1959 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Municipal Servant Conduct Regulations, 1959 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions or the following order:-

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL SERVANT CONDUCT REGULATIONS, 1959] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement	1.	(1) This order may be called the Uttaracnhal [The Uttar Pradesh Municipal Servant Conduct Regulations, 1959] Adaptation and Modification Order, 2002 (2) It shall come into force at once.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"	2.	In the Uttar Pradesh [The Uttar Pradesh Municipal Servant Conduct Regulations, 1959] wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By order

(P.K. MOHANTY)
Secretary

क्रम संख्या–190 (ग–8) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

देहरादून, ुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्

उत्तराखण्ड ासन
आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1069 / श0वि0–आ0 / 2002–270 (न0वि0) / 2002
देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड ासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिशद सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) नियमावली, 1960 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्श निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिशद् सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) नियमावली, 1960 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिशद् सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) नियमावली, 1960} अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिशद् सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) नियमावली, 1960} अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त ीर्शक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिशद् सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) नियमावली, 1960 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉ–वहॉ वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1069 A/S.V/2002-270 S.V./2000, dated November 08, 2002 for general information:

No. 1069 A/S.V.-2002-270 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaracnhal Government may by order, make such Adaptation and Modification of the law, by way of repeal or permission as necessary or expedient;

AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Municipal Servant (enquiry, Punishment and Termination or Service) Rule, 1960 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Municipal Servant (enquiry, Punishment and Termination or Service) Rule, 1960 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions or the following order:-

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL SERVANT (ENQUIRY, PUNISHMENT AND TERMINATION OR SERVICE) RULE, 1960] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement	1.	(1) This order may be called the Uttaracnhal [The Uttar Pradesh Municipal Servant (enquiry, Punishment and Termination or Service) Rule, 1960] Adaptation and Modification Order, 2002 (2) It shall come into force at once.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"	2.	In the Uttar Pradesh [The Uttar Pradesh Municipal Servant (enquiry, Punishment and Termination or Service) Rule, 1960] wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By order

(P.K. MOHANTY)
Secretary

क्रम संख्या–190 (ग–5) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, ुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्
उत्तराखण्ड ासन
आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1066 / श0वि0–आ0 / 2002–270 (न0वि0) / 2002
देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड ासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्श निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994} अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994} अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त ीर्शक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉ–वहॉ वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English

translation of notification no. 1066 A/S.V/2002-270 S.V./2000, dated November 08, 2002 for general information:

No. 1066 A/S.V.-2002-270 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaracnhal Government may by order, make such Adaptation and Modification of the law, by way of repeal or permission as necessary or expedient;

AND, WHEREAS the Uttar Pradesh Municipal Bored (Preparation and Revision of Electoral Roll) Rule, 1994 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Municipal Bored (Preparation and Revision of Electoral Roll) Rule, 1994 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions or the following order:-

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL BORED (PREPARATION AND REVISION OF ELECTORAL ROLL) RULE, 1994] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement	1.	(1) This order may be called the Uttaracnhal [The Uttar Pradesh Municipal Bored (Preparation and Revision of Electoral Roll) Rule, 1994] Adaptation and Modification Order, 2002 (2) It shall come into force at once.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"	2.	In the Uttar Pradesh [The Uttar Pradesh Municipal Bored (Preparation and Revision of Electoral Roll) Rule, 1994] wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By order

(P.K. MOHANTY)
Secretary

क्रम संख्या-190 (ग-11)

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०एन०-38/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई०
कार्तिक 17, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

आवास एवं शहरी विकास विभाग

संख्या 1072/श०वि०-आ०/2002-270 (न०वि०)/2002
देहरादून, 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो ;

चूंकि, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत् लागू है ;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित अधिकारों के अध्यधीन लागू रहेगा :-

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981] नियमावली अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1. (1) यह आदेश उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ
   (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981 में जहाँ-जहाँ पर शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ-वहाँ "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा। — उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना

आज्ञा से,

(पी० के० महान्ति)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1072 A/S.V.-2002-270 S.V./2002, dated November 08, 2002 for general information :

No.1072 A/S.V.-2002-270 S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

NOTIFICATION

WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may by order, make such Adaptation & Modification of the law, by way of repeal or amendment as necessary or expedient ;

AND, WHEREAS, the Uttar Pradesh Municipal (Centralised) Service, Retirement Benefit Rules, 1994 is inforce in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 ;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred under section 87 of Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Municipal (Centralised) Service, Retirement Benefit Rules, 1981 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :--

THE UTTARANCHAL [THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL (CENTRALISED) SERVICE, RETIREMENT BENEFIT RULES, 1981] ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002

Short title and Commencement

1. (1) This order may be called the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Municipal (Centralised) Service, Retirement Benefit Rules, 1981] Adaptation and Modification Order, 2002.

(2) It shall come into force at once.

"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"

2. In the Uttar Pradesh Municipal (Centralised) Service, Retirement Benefit Rules, 1981 wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal".

By Order,

(P.K. MOHANTY)
Secretary.

पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) 53 आ०शा०वि०/505–2002–150+75 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–190 (ख–2) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, ुक्रवार, 08 नवम्बर 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 क सम्वत्

उत्तराखण्ड ासन
आवास एवं नगर विकास अनु0–1

संख्या 3031ए / श0वि0आ0–02–285 / 2002
देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002
अधिसूचना

प0 आ0–165

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों, सहित पुनः अधिनियमन अधिनियम, 1974) (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम सं0 11, सन् 1973) की धारा 39 की उपधारा (2) स्थापित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन क्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश ासन की अधिसूचना संख्या यू0ओ0117 / 9–आ0–5–95–10 (2) / 93 टी0सी0, दिनांक 11 अगस्त, 1995 का आंशिक परिष्कार करते हुए श्री राज्यपाल आदेश देते हैं कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वसूल किये गये 2% स्टाम्प ुल्क का आवंटन एवं भुगतान अनुशांगिक व्ययों, को यदि कोई हो, घटाने के पश्चात् निम्नलिखित अनुपात में किया जायेगाः

(क) जहां पर निगम / नगरपालिका परिशद, नगर पंचायत एवं विकास प्राधिकरण हो–
(1) यथा स्थिति विकास प्राधिकरण : 0.25%
(2) नगरपालिका परिशद / नगर पंचायत, जिनकी जनसंख्या 20 हजार या उससे कम हैं, : 1.00%
(3) नगर निगम / नगरपालिका परिशद / नगर पंचायत, जिनकी जनसंख्या 20 हजार से अधिक हो, 0.75%
(ख) जहां पर नगर निगम / नगरपालिका परिशद / नगर पंचायत हो,
(1) यथास्थित नगरपालिका परिशद / नगर पंचायत, जिनकी जनसंख्या 20 हजार या उससे कम हैं, : 1.10%
(2) नगर निगम / नगरपालिका परिशद / नगर पंचायत, जिनकी जनसंख्या 20 हजार से अधिक हो, 0.90%

आज्ञा से,
पी0के0 महान्ति,
सचिव।

क्रम संख्या-178 (ख)

रजिस्ट्रीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-38/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 अक्टूबर, 2002 ई0

आश्विन 25, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग

संख्या 2812/2002-श0वि0आ0-04 (न0वि0)/2002-टी0सी0-II

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

प0 आ0-150

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) (यथा संशोधित) की धारा 9-क की उपधारा (5) सपठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम 6 (क) तथा नियम 6 (क) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत उत्तरांचल के अध्यक्ष पदों के आरक्षण करने के उद्देश्य से अधिसूचना 2365/श0वि0आ0-04 (न0वि0) टी0सी0-II-2002, दिनांक 20-08-2002, तथा अधिसूचना संख्या : 2381/2002-04 (न0वि0) टी0सी0-II-2001, दिनांक 24 अगस्त, 2002 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 7 के उपनियम (2) में की गई अपेक्षानुसार सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। उक्त अधिसूचना द्वारा प्राप्त समस्त आपत्ति एवं सुझावों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त श्री राज्यपाल उत्तरांचल की समस्त नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण निम्न अनुसूची के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुसूची

क्र०सं०	जनपद का नाम	नगरपंचायत का नाम	आरक्षण का वर्ग
1.	उत्तरकाशी	बड़कोट	महिला
2.	चमोली	गौचर	अनुसूचित जाति (महिला)
		नंद प्रयाग	अनुसूचित जाति
		कर्णप्रयाग	अनारक्षित
3.	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	अनारक्षित
4.	टिहरी	कीर्तिनगर	महिला
		देवप्रयाग	महिला
		चम्बा	अनारक्षित
		मुनिकी रेती	अनारक्षित
5.	देहरादून	हरबर्टपुर	अनारक्षित
		डोईवाला	अनारक्षित
6.	हरिद्वार	लण्ढौरा	पिछड़ी जाति (महिला)
		झबरेड़ा	पिछड़ी जाति
		लक्सर	अनारक्षित
7.	ऊधमसिंह नगर	महुआखेड़ागंज	अनुसूचित जाति
		महुआडाबरा–हरिपुरा	पिछड़ी जाति (महिला)
		सुल्तानपुर पट्टी	पिछड़ी जाति
		केलाखेड़ागंज	अनारक्षित
		दिनेशपुर	अनारक्षित
		शक्तिगढ़	अनारक्षित
8.	नैनीताल	भीमताल	अनुसूचित जाति (महिला)
		कालाढुंगी	अनारक्षित
		लाल कुआं	अनारक्षित
9.	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	महिला
10.	चम्पावत	चम्पावत	महिला
		लोहाघाट	महिला
11.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	महिला
		धारचूला	अनुसूचित जनजाति (महिला)

आज्ञा से,

(पी० के० महान्ति)
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 39 आवास०वि० / 404–2002–200+75 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–178 (क)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 अक्टूबर, 2002 ई०
आश्विन 25, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आवास एवं शहरी विकास अनुभाग

संख्या 2811/2002–श०वि०आ०–04 (न०वि०)/2002–टी०सी०–II

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

प० आ०–149

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) (यथा संशोधित) की धारा 9–क की उपधारा (5) सपठित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994] अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम 6 (क) तथा नियम 6 (क) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद् उत्तरांचल के अध्यक्ष पदों के आरक्षण करने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या 2364/श०वि०–आ०–04 (न०वि०)/टी०सी०–II–2002, दिनांक 20 अगस्त, 2002, अधिसूचना संख्या 2380/2002–04 (न०वि०) टी०सी०–II–2001, दिनांक 24 अगस्त, 2002 तथा अधिसूचना संख्या 2583/श०वि०/आ०–02–04 (न०वि०) टी०सी०–II–2002, दिनांक 17–09–2002 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 7 के उप नियम (2) में की गई अपेक्षानुसार सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। उक्त अधिसूचनाओं द्वारा प्राप्त समस्त आपत्ति एवं सुझावों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त श्री राज्यपाल उत्तरांचल की समस्त नगरपालिका परिषदों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण निम्न अनुसूची के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	नगरपालिका परिषद् का नाम	आरक्षण का वर्ग
1.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	महिला
2.	चमोली	जोशीमठ	महिला
		चमोली–गोपेश्वर,	अनारक्षित
3.	टिहरी	टिहरी	अनारक्षित
		नरेन्द्रनगर	महिला
4.	पौड़ी	पौड़ी	अनारक्षित
		श्रीनगर	अनारक्षित
		दुगड्डा	महिला
		कोटद्वार	अनारक्षित
5.	देहरादून	विकासनगर	महिला
		मसूरी	अनारक्षित
		ऋषिकेश	अनारक्षित
6.	हरिद्वार	हरिद्वार	अनारक्षित
		रूड़की	अनारक्षित
		मंगलौर	पिछड़ी जाति
7.	ऊधमसिंह नगर	जसपुर	पिछड़ी जाति
		काशीपुर	पिछड़ी जाति (महिला)
		गदरपुर	महिला
		खटीमा	महिला
		रूद्रपुर	अनारक्षित
		बाजपुर	अनारक्षित
		किच्छा	अनारक्षित
		सितारगंज	अनारक्षित
8.	नैनीताल	नैनीताल	अनुसूचित जाति (महिला)
		भवाली	अनुसूचित जाति
		रामनगर	पिछड़ी जाति (महिला)
		हल्द्वानी	अनारक्षित
9.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	अनारक्षित
10.	बागेश्वर	बागेश्वर	अनुसूचित जाति
11.	चम्पावत	टनकपुर	महिला
12.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	अनारक्षित

आज्ञा से,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 40 सा0सा0वि0/405–2002–200475 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–178 (ग)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 अक्टूबर, 2002 ई०
आश्विन 25, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग–1

संख्या 2813/2002–श०वि०/आ०–04 (न०वि०)/2002–टी०सी०–II

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

प० आ०–151

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) (यथा संशोधित) की धारा 7(5) सपठित उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994] अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून स्थित नगर निगम देहरादून के नगर प्रमुख के पद को महिला वर्ग हेतु आरक्षित करने के उद्देश्य से उक्त नियमावली के नियम 7(2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना सं० 2436/श०वि०/आ०–04 (न०वि०)/2002–टी०सी०–II, दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा समस्त सर्वसाधारण से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। उक्त अधिसूचना के आधार पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त एवं निराकरणोपरान्त उक्त नियमावली के नियम 7(3) की अपेक्षानुसार श्री राज्यपाल देहरादून स्थित नगर निगम देहरादून के नगर प्रमुख का पद महिला हेतु आरक्षित करते हैं।

आज्ञा से,

(पी० के० महान्ति)
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 38 आ०श०वि०/403–2002–450+75 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–098 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियम आदेश)

देहरादून, मंगलवार 02 जुलाई, 2002 ई0
आशाढ़ 11, 1924 क सम्वत्

उत्तराखण्ड ासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 225 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून, दिनांक 02 जुलाई, 2002

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 पर दिनांक 02 जुलाई, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 03, सन् 2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन)
अध्यादेश, 2002
(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 03, वर्श 2002)

न्गरपालिका परिशदों और नगर पंचायतों के निर्वाचन के प्राविधन से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का उत्तराखण्ड राज्य के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के उद्देश्य सें

अध्यादेश

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्श में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित :–

(घ) उस पर देनदारियों विशेशकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेश राशि से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;		
(ड.) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक / वार्शिक आय का पूर्ण विवरण;		
(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;		
(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण;		

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि – भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्शिक धनराशि का पूर्ण विवरण, और		
(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण;		
मूल अधिनियम की धारा 13–ग में निम्नलिखित उपधारा (घ) बढ़ा दी जायेगी :– ''(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो।''		5. धारा 13–ग का संशोधन
मूल अधिनियम की धारा 13–घ (घ), के बाद उपधारा–ड, 13–घ (छ)के बाद उपधारा (ज) तथा 13–घ (ट) के बाद उपधारा (ठ) (छ) (ढ) (ण) निम्नवत् बढ़ा दिये जायेगें।		13–घ का संशोधन
(ड.) ''उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिसमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात् हुआ है;'' या		
(ज) ''महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोश सिद्ध ठहराया गया है;'' या		
''(ठ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है; '' या		
''(ड.) किसी ऐसे संस्था, जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की विततीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैयनिक कर्मचारी है; '' या		
''(ढ) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है; या		
''(ण) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है; '' या		
''(त) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, ासनादेशों का उल्लघंन करने, नगर पालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोशी ठहराया गया हो।''		

(घ) उस पर देनदारियों विशेशकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेश राशि से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;		
(ड.) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्शिक आय का पूर्ण विवरण;		
(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;		
(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण;		
(ज) उसकी आयकर तथा भूमि – भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्शिक धनराशि का पूर्ण विवरण, और		
(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण;		
मूल अधिनियम की धारा 13–ग में निम्नलिखित उपधारा (घ) बढ़ा दी जायेगी :– ''(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो।''		5. धारा 13–ग का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 13–घ (घ), के बाद उपधारा–ड, 13–घ (छ)के बाद उपधारा (ज) तथा 13–घ (ट) के बाद उपधारा (ठ) (छ) (ढ) (ण) निम्नवत् बढ़ा दिये जायेगें।		13–घ का संशोधन
(ड.) ''उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिसमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात् हुआ है;'' या		
(ज) ''महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोश सिद्ध ठहराया गया है;'' या		
''(ठ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है; '' या		
''(ड.) किसी ऐसे संस्था, जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की विततीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैयनिक कर्मचारी है; '' या		
''(ढ) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है; या		
''(ण) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है; '' या		
''(त) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, ासनादेशों का उल्लघंन करने, नगर पालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोशी ठहराया गया हो।''		

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Amendment) Ordinance, 2002 Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 03 of 2002.

No. 225/Vidhayeo & Sanadiya Karya/2002
Dated Dehradun, July 02, 2002

NOTIFICATION
Miscellaneous

As promulgated by the Governor of Uttaranchal and assented on July 02, 2002.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR PALIKA ADHINIYAM, 1916)
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2005
(The Uttaranchal Ordinance no. 03 of 2002)

To further to amend the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916 for its application in Uttaracnhal regarding provisions for the election of the Nagarpalika Parishads and Nagar Panchayats:

AN
ORDINANCE

Promulgated by the Governor in the Fifty-Third of the Republic of India:-

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

(1) This Ordinance may be called the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Amendment) Ordinance, 2002. (2) It shall come into force at once.		1. Short title & commencement
Section 9-(1)(A) of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916 (hereinafter referred to		2- Amendment of Section 9-(1)9A) of the Uttar Pradesh

as the 'Principal Act") the following section shall be substituted, namely:- The elected members, whose number shall be not less than 4 and not more than 45, as may be prescribed by the State Government and notified in the official Gazette:		Nagar Palika Adhiniyam, 1916

(e)	He has more than two living children of whom one is born, after expiry of 300 days from the date of notification of this part; or,		
(h)	has been convicted of any offence against a women; or,		
(j)	has an interest or share, in a publication wherein advertisement regarding activities of the municipalities can be published; or,		
(m)	is a paid employee of any institution, receiving financial aid from the municipalities; or,		
(n)	The person or any member of his/her family or his/her legal is in unauthorized occupation of any land or building owned or managed by the municipality/Government or a public road or pavement, canal, drain, or is a beneficiary of such unauthorized occupation; or,		
(o)	is a representative or a office bearer of any federation or union of any cadre or class of employees of the municipality; or		
(p)	has been convicted of any offence involving violation of any Act, Rules, Sub-rules, regulations and Govt. orders relating to Municipality and has been found guilty of working against the interest of the municipality;		

After section-13-E of the Principal Act a new section 13-F shall be inserted:- Procedure of voting:- Wherever an election takes place in any ward, voting shall be either through secret ballot or voting machine and there shall be no proxy voting.		7. Insertion of Section-13-F
In sub-section (2) (a) of section-43-A-A of the Principal Act after sub-section (p) of section 13-D, sub-section (i), (m), (n), (o), (p) shall be added.		8. Amendment of Section 43-AA

SURJIT SINGH BARNALA
Governor
Uttaranchal

By Order,

(R.P. PANDEY)
Sachiv.

संख्या : 16 / नौ–4–97–एल0जी0 / 97

प्रेशक,

आर0बी0 भाष्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश ासन।

सेवा में,

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0
लखनऊ।
2– समस्त नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 06 जनवरी, 1997

विशयः– उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के वेतनमान 2200–4000 से निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों को निलम्बित किये जा सकने की क्ति का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपुर्यक्त विशय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली 1955 के नियम–37 सपठित नियम–40(2) द्वारा प्रदत्त क्ति के अधीन यह आदेश देते है कि पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के वेतनमान 2200–4000 से निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों को तुरन्त निलम्बन, आवश्यक होने की स्थिति में, इस अधिकार का प्रयोग राज्य सरकार के साथ ही यथा स्थिति निदेशक, स्थानीय निकाय अथवा सम्बन्धित नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा तथा निलम्बन की सूचना ासन को यथासमय सुसंगत पत्रादि सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अविलम्बत उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिस अधिकारी / कर्मचारी को निलम्बित किया जाये, उसे निलम्बन आदेश के साथ–साथ आरोप पत्र अवश्य ही दिया जाय।

आज्ञा से,

ह0
आर0बी0 भाष्कर
सचिव

संख्या : 3105 / 11–4–33–2सी.एस.(जनरल) / 88

प्रेशक,

आर0एस0 माथुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश ासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 18 जून, 1988

विशयः– निदेशक, स्थानीय निकाय को अधिकारों का प्रतिनिधान।

महोदय,

उपर्युक्त विशय पर ासनादेश संख्या–2743 / 11–1–74–184 / 74, दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 को आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली 1955 का नियम–42 में प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करके निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित क्तियां तथा कृति प्रतिनिहित करते हैं :

(1) उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के ऐसे समस्त पदों पर जिनका उ0प्र0 वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) 1979–80 की संस्तुतियों के आाार पर ासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन 850 रूपये से कम है, कर्मचारियों / अधिकारियों को नियुक्ति करने की क्ति।

(2) उपरोक्त पदधारकों को उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली 1955 के नियम–37 के अधीन निलम्बित करने, पदच्चुत करने या सेवा से हटाने या पदावनति करने आदि का दण्ड आरोपित करने की क्ति जो उक्त नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित की गयी है।

(3) उपर्युक्त नियमावली के नियम–25 के अन्तर्गत उपर्युक्त पदधारकों को एक नगर पालिका / नगरमहापालिका से दूसरी नगरपालिका / नगरमहापालिका में स्थानान्तरण करने की क्ति।

(4) उपुर्यक्त नियमावली के नियम–28(1) के अधीन उपर्युक्त प्रकार के पदधारकों का दक्षातावरोध पार करने की अनुमति देने की क्ति।

(5) उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के उन अधिकारियों जिनके पदों का उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) 1979–80 की संस्तुतियों के आधार पर ासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन 850 रूपये या उससे अधिक है, के स्थानान्तरण, दक्षतावरोध एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित प्रस्तावों को अपनी संस्तुतियों ासन के विचारार्थ अग्रसारित करने का कृत्य।

(6) केन्द्रियत सेवा के समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों के चरित्र पंजिका, सेवा अभिलेख, ज्येष्ठता सूची तथा उपर्युक्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही तथा सूचना रखने की कृत्य।

भवदीय,
ह0
आर0एस0 माथुर
सचिव

संख्या : 3105 / 11–4–33–2सी.एस.(जनरल) / 88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।
2– उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
3– उत्तर प्रदेश के समस्त नगरपालिकाओं के प्रभारी अधिकारी/प्रशासक।
4– प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बरेली तथा मेरठ।
5– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6– पर्यक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– नगर विकास एवं आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह0
पी0एन0 सिन्हा
उप सचिव

उत्तराखण्ड ासन
हरी विकास विभाग,
संख्याः 2403 / V–श0वि9–05–116(सा0)05
देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

ासनादेश संख्या 588 / न0वि0–02–44 (न0वि0) 2002 दिनांक 20 फरवरी, 2002 के द्वारा पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के नगर विकास अनुभाग से जारी ासनादेश संख्या 3105 / 11–4–83–2सीएस(जनरल) / 983 दिनांक 18 जून, 1983 एवं ासनादेश संख्या 16 / नौ / एल0बी0 / 97 दिनांक 6 जनवरी, 1997 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश को पालिका केन्द्रीयत सेवा के वेतनमान 8000–13500 से न्यून वेतनमान के अधिकारियों / कर्मचारियेां के नियुक्ति, पदोन्नति एवं दण्डात्मक कार्यवाही संबंधी अधिकार निदेशक, हरी विकास उत्तराचंल को प्रतिनिधानित किये गये है।

उपरोक्त ासनादेश को संशोधित करते हुए निदेशक, हरी विकासउत्तराखण्ड को केन्द्रियत सेवा के उपरोक्त वेतनमान सहित इससे उच्च वेतनमान के अधिकारियों / कर्मचारियेां के समस्त प्रकरणों को निदेशालय स्तर से ही निस्तारित किये जाने का अधिकार निदेशक, हरी विकास उत्तराखण्ड को प्रतिनिधानित किये जाते है। वेतनमान 8000–13500 तक के एवं उच्च वेतनमान के अधिकारियों के सेवा अभिलेख भी निदेशालय में रहेगें। वेतनमान 8000–13500 से उच्च वेतनमान के अधिकारियों / कर्मचारियेां के सेवा संबंधीन प्रकरणों पर निदेशक हरी विकास द्वारा अपर सचिव के माध्यम से ासन का अनुमोदन / आदेशेपरान्त अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्याः 2483 / V–श0वि9–05–116(सा0)2005 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– निदेशक, हरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमाऊं मण्डल / गढ़वाल मण्डल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
5– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिशद / नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाईल।

(सुब्रत विश्वास)
अपर सचिव।

Government of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh reorganization Coordination Section-1
No. 3084/28-1-2004
Lucknow :: Dated : November 29, 2004

Notification/Modification

Subject: Allocation of State Cadre Posts between the State of Uttar Pradesh and Uttaranchal.

In continuation of Notification No. 02/28-1-2004. dated January 02, 2004 regarding allocation of State Cadre posts between the State of Uttar Pradesh and Uttaranchal, the bifurcation of the cadre post of the Department of Director, Local Bodies, Uttar Pradesh is revised according to the annexed statement.

I hence the bifurcation chart sent earlier with the said notification dated January 02, 2004 stands cancelled.

By Order

Dr. Raja Ram
Principal Secretary.

No. 3084/28-1-2004, Dated : November 29, 2004

Copy : forwarded for information and necessary action to-

a. Chief Secretary, Uttar Pradesh
b. Chief Secretary, Uttaranchal.
c. Sri. P.C Mohanti, Director, C.R. Department of Personnel & Training Government of India, III Floor, Lok Nayar Bhawan, Khan Market, New Dehli.
d. Principal Secretary to the Government of Uttaranchal, Re organization Department, Dehradun.
e. Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Urban Development Department, Lucknow.
f. Principal Secretary to the Government of Uttaranchal, Urban Development Department, Dehradun.
g. Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.
h. Director, Printing & Stationery, Uttar Pradesh, Allahabad for publishing it in the next issue of Uttar Pradesh extra ordinary Gazett.

By Order
(Dr. Raja Ram)
Principal Secretary.

उत्तराखण्ड ासन
हरी विकास विभाग
संख्या–1553/V–श0वि0–06–308(श0वि0)/02
देहरादून दिनांकः 30 जून, 2006

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय के अकेन्द्रियत सेवा के सभी श्रेणी के कर्मचरियों की सेवानिवृत्ति आयु राज्य कर्मचारियों की भांति 58 वर्श के स्थान पर 60 वर्श किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है।

2– यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

3– उपर्युक्त से संबंधित अन्य आवश्यक उपबन्धों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें।

(अमरेन्द्रा सिन्हा)
सचिव।

संख्या–1553/V–श0वि0–06–तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।:–

1– निदेशक, हरी विकास निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त कुॅमायू/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिशद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
5– अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालयय, रूड़की को इस आशय से प्रेशित कि आगामी गजट के अंक में इस अधिसूचना को प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियॉ हरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड ासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करे।।
6– गार्ड फाईल।
7– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।

आज्ञा से,

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

सं0 4086 / V–श0वि0–05–285(न0वि0) / 01

प्रेशक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड ासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
हरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभागः देहरादून : दिनांक– 23 जनवरी, 2006

विशय : स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ासनादेश संख्या–195 / टी / 9–1–77–322सा / 76, दिनांक 31 मार्च, 1997 एवं ासनादेश संख्या–1878 / नौ–1–90–33सा / 90, दिनांक 13 मार्च, 1990 के द्वारा स्थानीय निकायों के कार्मिकों की बीमाहित लाभ की धनराशि दिनांक–01 मार्च, 1984 से रू0–25000 / – की गई थी। इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम से विचार–विमर्श के उपरान्त स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए प्रचलित सामूहिक बीमा पॉलिसी रू0–25000 / – के स्थान पर भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीा योजना (जी0आई रू0–50 हजार तथा जी0एस0एल0आई0 रू0 50 हजार) के अन्तर्गत कुल रू0 1.00 लाख की पॉलिसी किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी–

(1) कर्मचारियों की बीमा हित लाभ के उद्देश्य से नई पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी का कुल रू0 1.00 लाख का बीमा होग, जिसमें प्रथम 50 हजार के लिए जी0एस0एल0आई0 हेतु प्रत्येक नियमित कर्मचारी का रू0 50.00 प्रतिमाह अभिदान होगा और इस अभिदान की धनराशि का 50 प्रतिशत भाग अर्थात् रू0 25.00 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह जोखिम हेतु रहेगा एवं रू0 25.00 बचत मद के लिए होगा।`श 50 हजार के समूह बीमा (जी0आई) हेतु प्रत्येक कर्मचारी को रू0 25. 00 प्रतिमाह देना होगा। जब कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त होगता तो उसे बचत की कुल धनराशि पर 8 प्रतिशत ब्याज के साथ अंतिम भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय होगा। यदि सेवा में रहते हुए कर्मचारी का आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसके आश्रितों को रू0 1.00 लाख का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा।

(2) पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा पॉलिसी संख्या–4912 के स्थान पर रू0 1.00 लाख की समूह बीमा योजना पॉलिसी लिस जाने पर प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से य0 75 / – के प्रिमियम की धनराशि की कटौती करके भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून को भेजी जायेगी और इस पर स्थानीय निकाय अथवा ासन द्वारा कोई अंशदान नहीं दिया जायेगा।

(3) उपरोक्त पॉलिसी की प्रिमियम की धनराशि का भुगतान प्रत्येक निकाय द्वारा सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम (पेंशन एवं समूह बीमा इकाई) न्यू कनाट प्लेस, देहरादून को यिका जायेगा। इस प्रकार समय पर प्रिमियम भेजने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होंगी।

(4) सम्पूर्ण बीमा पॉलिसी निदेशक, हरी विकास, उत्तराखण्ड के अधीन होते हुए प्रत्येक स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी के नाम होंगी।

(5) उपरोक्त सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत केवल व ही नियमित कर्मचारी आच्छादित होंगे जिनके भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बायोडाटा फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम में उपलब्ध होंगे। अतः यह महत्वूर्ण है कि जिन स्थानीय निकायों द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रपत्र अभी तक भारतीय जीवन बीमा निगम, देहरादून को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, वे तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में स्थानीय निकायों के नव नियुक्त कर्मचारियों को इस योजना में तभी सम्मिलित समझा जायेगा जब उनका बायोडाटा प्राप्त हो जाय तथा उनके अभिदान के कटौती भी प्रारम्भ हो गई हों।

(6) नागर स्थानीय निकायों के सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर दिनांक–01 अप्रैल 1984 से जो सामूहिक बीमा योजना लागू है, उसके लिए मा0 रू0 21.63 प्रतिमाह प्रति कर्मचारी प्रिमियम भेजा जाता है जिसमें रू0 20.00 कर्मचारी द्वारा तथा रू0 1.63 पालिका द्वारा अंशदान दिया जाता है, जबकि समूह बीमा योजना के लिए प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से रू0 25.00 काटकर प्रतिमाह प्रिमियम भेजना होगा और इसमें पालिका का कोई अंशदान नहीं होगा। इस प्रकार अप्रेल 2004 से नई पॉलिसी लिए जाने की तिथि तक रू0 25.00–21.63=रू0 3.37 अन्तर की धनराशि संबंति कर्मचारियों के वेतन से काटकर भारतीय जीवन बीमा निगम, देहरादून को समस्त निकायों द्वारा भेजी जायेगी।

(7) समस्त स्थानीय निकायों द्वारा उपरोक्त पॉलिसी के अन्तर्गत बीमा दावे भुगतान हेतु निदेशक, हरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से प्रेशित किये जायेंगे और निदेशालय द्वारा उक्त दावों का परीक्षण कर दावें संस्तुति सहित भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेशित किये जायेगें। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त दावों का भुगतान संबंधित निकायों को निदेशक, हरी विकास, उत्तराखण्ड के माध्यम सये किया जायेगा।

(8) निदेशक, हरी विकास सभी निकायों को नई पालिसी की औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिए प्रपत्र उपलब्ध करायेगें।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त आदेशों से अवगत ककराते हुए कृत कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेगें।

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0 /V–श0वि0–05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– ाखा प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं समूह इकाई, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

आज्ञा से,

(सुब्रत विश्वास)
अपर सचिव।

सं0– 254 / श0वि0आ0 / स्व0स0 / 2003

प्रेशक,

सचिव,
आवास एवं हरी विकास,
उत्तराखण्ड ासन,
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

हरी विकास अनुभाग देहरादून : दिनांक 13–8–2003

विशयः– उत्तराखण्ड की हरी स्थानीय निकायों में ''मौहल्ला स्वच्छता समिति'' गठित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विशयक अपने पत्रांक 694 / सा0वि0–03 दिनांक 06.08.03 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अंतर्गत नगर निगम के अधिवेशन दिनांक 23.07.03 में पारित प्रस्ताव के क्रम में ासनादेश संख्या 205 / सचिव / श0वि0आ0 / 03 दिनांक 03.07.03 के अनुसार मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वच्छक के लिए योजनानुसार स्थानीय निकाय द्वारा दिये जाने वाले अनुदान राशि रू0 1200 / – मासिक को बढ़ाकर रू0 1500 / – मासिक किये जाने की संस्तुति की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मौहल्ला स्वच्छता समिति योजनांतर्गत नियुक्त किये जाने वाले स्वच्छक के लिए स्थानीय निकाय द्वारा दिये जाने वाले अनुदान राशि रू0 1200 / – मासिक के स्थान पर रू0 1500 / – मासिक किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कृपया भविष में तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(पी0के महान्ति)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. नगर प्रमुख, नगर निगम, देहरादून।
2. अध्यक्ष, समस्त नगर पालिका परिशद / नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, हरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

सचिव
हरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड ासन, देहरादून।

प्रेशक,

सचिव,
आवास एवं हरी विकास
उत्तराखण्ड ासन, देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त मण्डल आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, हरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।

हरी विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 03.07.2003

विशयः— उत्तराखण्ड की हरी स्थानीय निकायों में ''मौहल्ला स्वच्छता समिति'' गठित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि हरी स्थानीय निकायों में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं तीव्र हरीकरण के कारण समुचित सफाई व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्थानीय निकायों पर निरन्तर दबाव बढ़ रहा है जिसे स्थानीय निकायों के सीमित वित्तीय एवं मानव संसाधनों से पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के गम्भीरता से विचार करने के बाद ासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड के विभिन्न नगरों के जिन मौहल्लों में सफाई की व्यवस्था में पर्याप्त कमी है अथवा किसी हरी निकाय का वर्गोत्थान हो जाने के कारण उनके क्षेत्र/सीमा में वृद्धि हो गयी है तो ऐसे बढ़े हुए क्षेत्रों में वर्तमान में प्रचलित सफाई व्यवस्था के साथ—साथ अथवा उसके स्थान पर ''मौहल्ला स्वच्छता समिति'' गठित करते हुए उन समितियों द्वारा सफाई व्यवस्था करायी जाय। इस व्यवस्था से स्थानीय निकायों पर अपेक्षाकृत कम वित्तीय भार पड़ेगा और जनता की सहभागिता से अच्छी सफाई व्यवस्था सम्भव हो सकेगी। मौहल्ला स्वच्छता समिति के गठन, कार्य क्षेत्र, सफाई कर्मचारियों को कार्य पर लगाने, योजना को अंकीकृत करने सफाई उपकरण, वित्त एवं बैंक खाता संचालन के सम्बन्ध में नियमावली का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलनकः— यथोपरि।

भवदीय,

(पी0के महान्ति)
सचिव

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवाही हेतु प्रेशित हैः—

1. नगर प्रमुख, नगर निगम, देहरादून।
2. अध्यक्ष, समस्त नगर प्यालिका परिशद, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, समस्त नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

सचिव
हरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड ासन, देहरादून।

मौहल्ला स्वच्छता समिति

उत्तराखण्ड के ऐसे नगरों में जहां सफाई की व्यवस्था में कमी है, मौहल्ला सेनीटेशन कमेटी बनवाकर उनके द्वारा सफाई व्यवस्था करायी जा सकती है। यह व्यवस्था हरों में सफाई की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए किये जाने की आवश्यकता है। अन्य प्रदेशों में जहां यह व्यवस्था लागू की गयी है जनता का दृष्टिकोण उत्साहवर्द्धक रहा है।

2. योजना के मुख्य बिन्दुः–

1. सफाई हेतु नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1000 मी0 लम्बी पक्की सड़क, पक्की नाली या पक्का बाजार अथवा लगभग 800 मी0 लम्बी कच्ची सड़क, कच्ची गली की सफाई करेगा। यदि नियुक्ति नालियों की सफाई के लिए हो तो उसकी बीट में नाली अथवा नालियों के योग की लम्बाई 1000 मी0 होगी। यदि नियुक्ति कचरे को हटाने के लिए हो तो एक फेरे में ले जाये जाने वाले कूड़े का भार सामान्यतः 15 किलोग्राम होगा तथा पूरी बीट 2.5 वर्ग कि0मी0 से लगभग होनी चाहिए। यदि कचरा हाथगाड़ी से ले जाया जाता है तो कूड़े का भार हाथगाड़ी की धारिता के अनुसार होगा। यदि नियुक्ति घर–घर से कूड़ा एकत्रित करने के लिए हो तो प्रति स्वच्छक घरों की संख्या के घनत्व, पहुॅच मार्गो की दूरी पर निर्भर करेगा। यह संख्या अधिकतम 250 तक हो सकती है।
2. उपरोक्त पैरा 2(1) में निर्धारित बीट में सड़क, गली व बाजार की चौड़ाई लगभग 6.00 मी0 होगी।

   यदि सड़क, गली, बाजार की चौड़ाई बढ़ती है या 6.00 मी0 से कम हो तो बीट की लम्बाई उसी अनुपात में बढ़ायी अथवा घटाई जायेगी।
3. यह समिति मौहल्ले के निवासियों द्वारा मौहल्ले के कम से कम 3 व्यक्तियों को संबंधित हरी निकाय के प्रतिनिधि की देख–रेख में चुन कर बनायी जायेगी।

3. कार्य क्षेत्रः–

1. योजना का आशय हरी निकायों के समस्त बढ़े हुए क्षेत्रों या उन छूटे हुए क्षेत्रों जहां सफाई की सेवा अपर्याप्त है, में सफाई व्यवस्था कराना है। योजना का कार्यक्षेत्र हरी स्थानीय निकाय की सीमा अंतर्गत ही रहेगा। नगर निगम की सहभागिता मौहल्ला स्वच्छता समिति के साथ वित्तीय सहायता पहुॅचाने तक ही सीमित रहेगी। ऐसी समितियों द्वारा तैनात स्वच्छकार केवल समिति के उपस्थित पंजिका में ही रहेगें और वह हरी स्थानीय निकाय के कर्मचारी नही समझे जायेगें।
2. संबंधित नगर पार्शद, अधिशासी अधिकारी अथवा संस्था के प्रतिनिधि को ऐसे स्वच्छता कार्य के निरीक्षण का अधिकार होगा।

4. समिति का गठनः–

   मौहल्ला स्वच्छता समिति में कम से कम 3 सदस्य, (अध्यक्ष, सचिव, कोशाध्यक्ष) जिसमें से एक सदस्य अध्यक्ष, दूसरा सचिव, तथा तीसरा समिति के कोशाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। समिति मौहल्लावासियों द्वारा सर्वसम्मति से बनायी जायेगी। असहमति की दशा में समिति का चुनाव संबंधित सफाई निरीक्षक की देख–रेख में किया जायेगा। चुनाव प्रक्रिया में उत्पन्न किसी विवाद को हरी स्थानीय निकाय के लिए उसके अधिशासी अधिकारी को तथा नगर निगम के लिए उसके सफाई ाखा के प्रभारी अधिकारी को भेजा जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा। उनके निर्णय की कोई अपील उच्चतर प्राधिकारी को नहीं की जा सकेगी।

5. सफाई कर्मचारी को काम पर लगानाः–

   सफाई कर्मचारी को मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा अंश कालिक कर्मचारी के रूप में कार्य पर लगाया जायेगा और वह/वे पूर्णतः स्वच्छता समिति के नियंत्रण में होगें।

6. स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदन और अंगीकरणः–

योजना को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अंगीकार करने से अभिप्राय होगा कि योजना प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान हो चुका है। योजना को संबंधित निकाय के प्रस्ताव द्वारा अंगीकृत किया जायेगा।

7. सफाई उपकरणः—

सफाई उपकरण जैसे हाथगाड़ी, झाड़ू, पंजर, तसला, टोकरा आदि स्वच्छकार को संबंधित मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा प्रदान किये जायेगें। हरी स्थानीय निकाय द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्रतिवर्श रू0 2500/— की धनराशि प्रदान की जायेगी।

8. वित्तः—

मौहल्ला स्वच्छता समिति समस्त वित्तीय मामलों की प्रभारी होगी, जैसे मजदूरी की भुगतान करना, बीट क्षेत्र के निवासियों से स्वैच्छिक धन संचल करना आदि। एक बीट (+5:) सफाई क्षेत्र के लिए संबंधित हरी निकाय का अधिशासी अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी संबंधित समिति को अंशदान के रूप में प्रति स्वच्छक प्रतिमाह रू0 1200/— अनुदान प्रदान करेगा ओर इसके बराबर की धनराशि रू0 1200/— प्रति स्वच्छक प्रतिमाह संबंधित स्वच्छता समिति द्वारा प्रदान की जा सकेगी। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अगले माह के लिए सहायता राशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब पिछले माह का उपयोगिता प्रमाण पत्र जो उस समिति के अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हो, संबंधित स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अध्किाारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

1. हरी स्थानीय निकाय किसी भी समय सहायता राशि रोकने के लिए स्वतंत्र होगी यदि व्यवस्था संतोशजनक रूप से सम्पादित न की जा रही हो।
2. सहायता राशि, संबंधित सफाई निरीक्षक या हरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि की संस्तुति पर अवमुक्त होगी यह संस्तुति योजना के निर्धारित प्रारूप पर लिखित प्रमाण पत्र के रूप में संलग्न की जायेगी।

9. बैंक खाता संचालनः—

प्रत्येक मौहल्ला स्वच्छता समिति सुविधानुसार किसी भी राष्ट्रीकृत/अनुसूचित बैंक में खाता खोलेगी। खाते का संचालन अध्यक्ष और समिति के किसी एक सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। सफाई निरीक्षक या हरी स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि संबंधित स्वच्छता समिति के कार्यालय संचालकों के हस्थाक्षरों के नमूने संबंधित स्वच्छता समिति तथा बैंक को अग्रसारित करेगें। संबंधित स्वच्छता समिति द्वारा सहायत राशि का भुगतान मौहल्ला स्वच्छता समिति को एकाउन्ट पेई चैक द्वारा किया जायेगा। खातों का रख—रखाव संबंधित मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा और हरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि या बीट के किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

मौहल्ला स्वच्छता समितियों का गठन

7–6–2006

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या 2001	परिवारों की संख्या	निर्धारित लक्ष्य	गठित मौहल्ला स्वच्छता समितियों की संख्या
1	देहरादून	नगर निगम देहरादून	4.26.674	84.012	336	93
2		नगर पालिका परिशद विकासनगर	12.486	2.247	8	09
3		नगर पालिका परिशद मंसूरी	26.075	5.225	20	15
4		नगर पंचायत हरर्बटपुर	9.243	1.657	6	3
5		नगर पंचायत डोईवाला	8.043	1.509	6	07
6	हरिद्वार	नगर पालिका परिशद हरिद्वार	1.75.340	32.178	128	50
7		नगर पालिका परिशद रूडकी	97.516	17.615	70	21
8		नगर पालिका परिशद मंगलौर	428.584	6.558	26	13
9		नगर पंचायत लक्सर	18.242	3.122	12	5
10		नगर पंचायत झबरेडा	9.384	1.359	5	0
11		नगर पंचायत लण्डोरा	16.036	2.455	9	4
12	उत्तरकाी	नगर पालिका परिशद उत्तरकाी	16.218	3.590	14	09
13		नगर पंचायत बडकोट	6.095	1.32	5	03
14		नगर पंचायत गंगोत्री	605	147	0	1
15	चमोली	नगर पालिका परिशद गोपेश्वर	19.833	4.891	19	4
16		नगर पालिका परिशद जोाीमठ	13.204	3.053	12	2
17		नगर पंचायत गौचर	7.303	1.588	6	0
18		नगर पंचायत कर्णप्रयाग	6.977	1.593	6	0
19		नगर पंचायत नन्दप्रयाग	1.704	356	1	3
20		नगर पंचायत बद्रीनाथ	1.682	401	1	0
21	पौडी गढ़वाल	नगर पालिका परिशद पौड़ी	24.743	5.542	22	0
22		नगर पालिका परिशद श्रीनगर	19.658	4.83	16	0
23		नगर पालिका परिशद कोटद्वार	24.947	4.700	18	0
24		नगर पालिका परिशद दुगडडा	2.998	611	2	2

25	टिहरी	नगर पालिका परिशद टिहरी	25.423	5.476	21	1
26		नगर पालिका परिशद नरेन्द्रनगर	5.304	1.064	4	04
27		नगर पंचायत चम्बा	6.580	1.528	6	01
28		नगर पंचायत कीर्तिनगर	1.040	241	0	3
29		नगर पंचायत देवप्रयाग	2.769	618	2	4
30		नगर पंचायत मुनीकीरेती	788	1.663	6	4
31	रूद्रप्रयाग	नगर पंचायत रूद्रप्रयाग	2.250	554	2	0
32		नगर पंचायत केदारनाथ	482	134	0	0
33	पिथौरागढ़	नगर पालिका परिशद पिथौरागढ़	44.964	10.194	40	40
34		नगर पंचायत धारचूला	6.324	1.544	6	4
35		नगर पंचायत डीडीहाट	4.805	1.256	5	3
36	चम्पावत	नगर पालिका परिशद टनकपुर	15.811	1.913	11	08
37		नगर पंचायत लोहाघाट	5.829	1.316	5	0
38		नगर पंचायत चम्पावत	3.959	965	3	3
39	अल्मोड़ा	नगर पालिका परिशद अल्मोड़ा	30.154	6.661	26	26
40		नगर पंचायत द्वाराहाट	3.092	687	2	01
41	नैनीताल	नगर पालिका परिशद नैनीताल	38.63	8.358	33	02
42		नगर पालिका परिशद रामनगर	46.205	7.974	31	20
43		नगर पालिका परिशद हल्द्वानी	1.29.015	23.083	92	42
44		नगर पालिका परिशद भवाली	5.512	1.253	5	0
45		नगर पंचायत कालादुंगी	6.128	1.103	4	0
46		नगर पंचायत भीमताल	5.874	1.283	5	0
47		नगर पंचायत लालकुंआ	6.524	1.253	5	2
48	बागेश्वर	नगर पालिका परिशद बागेश्वर	7.803	1.699	6	0
49	उधमसिंह नगर	नगर पालिका परिशद गदरपुर	13.645	2.422	9	9
50		नगर पालिका परिशद जसपुर	38.937	5.780	23	26
51		नगर पालिका परिशद काीपुर	92.967	15.625	62	2

52		नगर पालिका परिशद बाजपुर	21.992	3.985	15	9
53		नगर पालिका परिशद रूद्रपुर	88.676	16.229	64	20
54		नगर पालिका परिशद सितारगंज	22.027	3.85	15	0
55		नगर पालिका परिशद खटीमा	14.335	2.56	10	0
56		नगर पालिका परिशद किच्छा	30.503	5.328	21	01
57		नगर पंचायत महुआडाबरा	6.103	924	3	03
58		नगर पंचायत, महुआखेड़ागंज	8.858	1.238	4	4
59		नगर पंचायत, केलाखेड़ा	7.782	1.034	4	3
60		नगर पंचायत, दिनेशपुर	8.856	1.572	6	0
61		नगर पंचायत, सुल्तानपुर	7.714	1.256	5	0
62		नगर पंचायत, क्तिगढ़	4.776	861	3	0
					1312	49

ीर्श प्राथमिकता / समयबद्ध
पत्रांकः–2874 / श0वि0नि0–महत्वपूर्ण / 2003

प्रेशक,

निदेशक,
हरी विकास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1– मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।
2– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिशद / नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

देहरादून : दिनांक 31–10–2003

विशयः– नगरीय ठोस ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 व भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 20 मई, 2003 को जारी अधिसूचना का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित नियमों का कड़ाई एवं समयबद्ध रूप से अनुपालन कराये जाने हेतु समय–समय पर ासन / निदेशालय व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके है। यह नियम स्थानीय निकायों की नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते है। प्रत्येक स्थानीय निकाय के अधिकारी सथानीय निकायों की सीमा के भीतर इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगें।

नियमावली की अनुसूची–1 में नगरीय ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित उपरोक्त दर्शाये गये कार्यो का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु सूची दी गई है, जिसका की समयबद्ध रूप से अनुपालन करना अनिवार्य है। इस नियमावली के अनुसूची–2 में नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के सम्बन्ध में सूचना दी गई है जिसके अनुसार स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बन्धित दायित्व निभाना है। नियमावली की अनुसूची–3 में ठोस अपशिष्ट के भूमि–भरण स्थलों सम्बन्धित विनिर्देश निर्गत किये गये है, जिसमें कि स्थल चयन, स्थल पर सुविधायें व प्रदूशण निवारण सम्बन्धित सूचनायें दी गयी है।

उपरोक्तानुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यो हेतु दायित्व बनता हैः–

1– कूड़ा किसी भी दशा में जमीन पर नहीं फेंका जायेगा।
2– कूड़े को सीधे घरों से एकत्रित किया जायेगा और जैविक एवं अजैविक कूड़े हेतु अलग–अलग कन्टेनरों की व्यवस्था की जायेगी। जैविक एवं अजैविक कूड़े को छांटने की जिम्मेदारी कूड़ा उत्पादित होने वाले श्रोत पर ही तय करनी होगी।
3– मलिन बस्ती, होटल, रेस्टोरेन्ट, कार्यालय भवन एवं व्यवायिक भवनों से कूड़ा एकत्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
4– कूड़े को जलाया नहीं जायेगा।
5– कूड़े के पृथक्करण हेतु जनजागरण कार्यक्रमों को आयोजन किया जायेगा।
6– कूड़ा बन्द गाड़ियों में ही ले जाया जायेगा। इसे बन्द डिब्बों में भी ले जाया जा सकता है।

7– भूमि भरण के स्थल पर प्रदूशण सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

8– राज्य प्रदूशण कन्टोल बोर्ड से कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया स्थापित करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी।

9– नियमावली में दिये गये प्रारूपों के अनुसार सूचनायें प्रेशित करनी होंगी।

10– नियमावली में दिये गये I, II, III, एवं IV अनुसूचितयों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्तिच करना होगा।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्देाति किया जाता है कि आप अपनी निकाय के अन्तर्गत उपरोक्त नियम के अनुपालन किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं इसके अनुपालन के सम्बन्ध में कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किया जाना है। उक्त कार्ययोजना/प्रस्ताव भी ासन/निदेशालय को अविलम्ब तैयार कर प्रेशित करना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार/अन्य संबंधित संस्थाओं से उक्त नियम के क्रियान्वयन हेतु संसाधन जुटाने हेतु धनराशि की तद्नुसार मांग की जा सकें।

3– नगर निकायें क्षेत्रों में प्रायः यह देखा गया है कि कूड़े का समुचित निस्तारण नहीं किया जाता है तथा आम नागरिकों द्वारा इसे सड़क या खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है। कूड़े के इस प्रकार से निस्तारण की दशा मेकं तत्काल दण्ड की कार्यवाही की जाय व इसका प्राविधान प्रत्येक निकाय अपने उपनियमों में तत्काल करना सुनिश्चित करें जिससे कि इस प्रकार के निस्तारण पर अंकुल लगाया जा सकें।

4– उपरोक्त के क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपनी निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन से संबंधित की गई/की जा रही, कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी वांछित सूचनाओं सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सकें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(डी0के0 गुप्ता)
निदेक।

संख्या एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपिः– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेशित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी तद्नुसार अपने जनपद के निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(डी0के0 गुप्ता)
निदेक।

(1)

संख्या 2187(2)/श.विकास/2002-1
नगर पालिका सामान्य निर्वाचन-2002
शीर्ष प्राथमिकता/फैक्स

प्रेषक,
[illegible] महान्ति
सचिव,
शहरी विकास, आवास एवं पेयजल
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,
1. मण्डलायुक्त
गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल ।
2. प्रशासक नगर निगम, देहरादून ।
3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल राज्य ।

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2002

शहरी विकास अनुभाग

विषय : नगर पालिकाओं के सामान्य निर्वाचन 2002 के प्रयोजनार्थ वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में.

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916)(संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 03 वर्ष 2002) की धारा 9(1)(क) के अधीन अधिसूचना संख्या- 2187 दिनांक 16.7.2002 के द्वारा नगरपालिका परिषद व नगर पंचायतों और उत्तरांचल (उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 04 वर्ष 2002) की धारा 6(1)(क) के अधीन विज्ञप्ति संख्या- 2186 दिनांक 16.7.2002 के द्वारा नगर निगम में अब सदस्यों की संख्या निम्नलिखित जनसंख्या के अनुसार- आधारित नियत की गयी है :

नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत

जनसंख्या सीमा	सदस्यों की संख्या
5000 तक	6
5001 से 10,000	7
10001 से 20,000	9
20001 से 30,000	11
30001 से 40,000	13
40001 से 50,000	15
50001 से 1,00,000	20
1,00,001 से 1,50,000	25
1,50,001 से 2,00,000	30

[illegible]	35
2,00,001 से 2,50,000	40
2,50,001 से 3,00,000	45
3,00,000 से अधिक	

<u>नगर निगम</u>

	20
50,001 से 1,00,000	25
1,00,001 से 1,50,000	30
1,50,001 से 2,00,000	35
2,00,001 से 2,50,000	40
2,50,001 से 3,00,000	45
3,00,000 से अधिक	

2. प्रपत्र-1 में निर्धारित सदस्य/पार्षद संख्या को दृष्टिगत करते हुए नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 11-क (1)(क) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 32(1)(ख) के अधीन संलग्न सूची में प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम के नाम के सामने, वार्ड संख्या, इंगित कर निर्धारित की जाती है।

3. सभी सम्बन्धित जनपद नगर पालिकाओं की 1991 की जनसंख्या आधारित सूची पर प्रत्येक नगरपालिका के नाम के सामने सदस्य/वार्ड संख्या इंगित कर संलग्न है। तदनुसार एक-एक सदस्यीय वार्डों के परिसीमन निम्नलिखित मानकों के अनुसार किये जायेंगे।

3.1. नगरों में वार्डों को ऐसी रीति से विभाजित किया जायेगा कि यथासाध्य प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या सम्पूर्ण निकाय क्षेत्र में एक समान हो। इस उद्देश्य से नवीन वार्डों में एक मोहल्ले को यथा सम्भव अविभाजित रखा जाय तथा वार्ड में एक से अधिक मोहल्ले होने पर उनको एक दूसरे से संयुक्त (ADJACENT) रखा जाये.

3.2. वार्ड की सीमा निर्धारण की स्थिति में दिशा-निर्देश के साथ-साथ सीमाओं को नक्शे पर चिन्हित भी किया जाय.

3.3. यथा सम्भव भौगोलिक सीमायें, पक्की सड़क, रेलवे लाइन या मोहल्लों के नाम आदि के वर्णन की जायें।

3.4. परिसीमन प्रस्ताव में प्रति वार्ड औसत प्रतिनिधित्व युक्त जनसंख्या के सिद्धान्त रखने का प्रयास किया जाय और यह अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक न हो.

3.5. वार्डों के परिसीमन प्रस्ताव निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे.

3.6. वार्डों की मोहल्लेवार जनसंख्या की एक सूची भी निम्न प्रपत्र-2 में उपलब्ध करायी जाये,

3.7. परिसीमन प्रस्ताव के साथ नगर पालिका के दिशा-निर्देश और [illegible] सहित मानचित्र की दो-दो प्रतियां उपलब्ध करायी जायेंगी। ऐसे मानचित्रों में वार्ड, मोहल्ले, सड़कें, नदियां, नाले, रेलवे लाइन आदि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे और मोहल्लों के नाम भी [illegible] सभी सीमायें स्पष्ट रूप से अंकित भी जायेंगी। ऐसा मानचित्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाये।

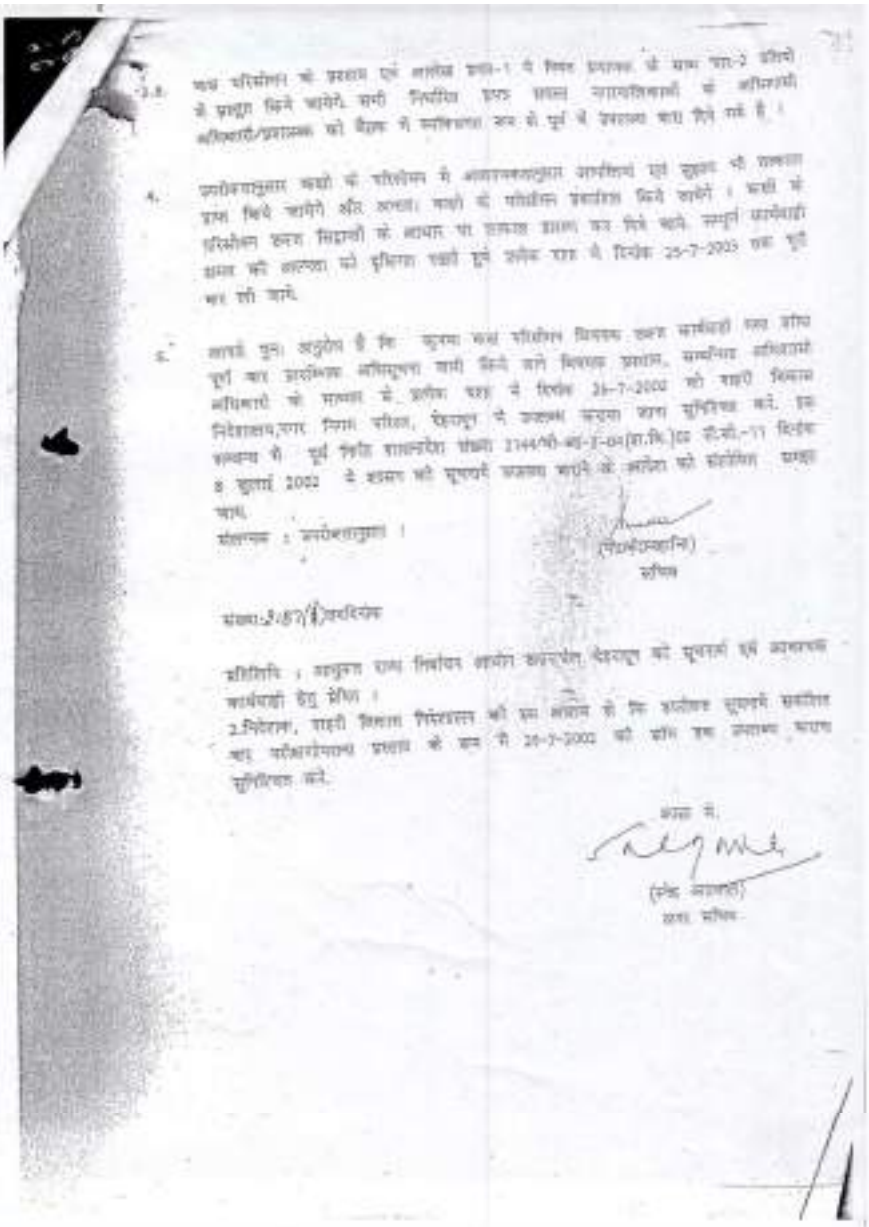

3.3 वार्ड परिसीमन के प्रस्ताव एवं आपत्ति प्रपत्र-1 में निम्न प्रारूप के साथ प्रपत्र-2 [illegible] से प्रस्तुत किये जायेंगे. सभी निर्धारित प्रारूप समस्त नगरनिकायों के अधिशासी अधिकारी/प्रशासक को बैठक में [illegible] पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये हैं।

4. आपत्तियानुसार वार्डों के परिसीमन में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं सुझाव भी [illegible] प्राप्त किये जायेंगे और अन्ततः वार्डों के परिसीमन प्रकाशित किये जायेंगे। वार्डों के परिसीमन उक्त सिद्धान्तों के आधार पर [illegible] कर लिये जाये. सम्पूर्ण कार्यवाही [illegible] को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक दशा में दिनांक 25-7-2003 तक पूर्ण कर ली जाये.

5. आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया वार्ड परिसीमन विषयक उक्त कार्यवाही यथा शीघ्र पूर्ण कर [illegible] अधिसूचना जारी किये जाने विषयक प्रस्ताव, सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 26-7-2002 को शहरी विकास निदेशालय,नगर निगम परिसर, देहरादून में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. इस सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित शासनादेश संख्या 2144/नौ-आ-2-04(शा.वि.)/02 टी.सी.-11 दिनांक 8 जुलाई 2002 के क्रम में सूचनायें उपलब्ध कराने के आदेश को संशोधित समझा जाय.

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

([illegible])
सचिव

संख्या-2(67)(i)/[illegible]

प्रतिलिपि : मा. राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरांचल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2.निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को इस आशय से कि उपरोक्त सूचनायें संकलित कर परिसीमन सम्बन्धी प्रस्ताव के क्रम में 26-7-2002 को [illegible] उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

आज्ञा से,

([illegible])
उप सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या–   /IV- 3/2017–11(08 निर्वाचन)/2017

प्रेषक,

सचिव,
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त
गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग   देहरादून: दिनांक 16 अप्रैल, 2017

विषय– नगर पालिकाओं के सामान्य निर्वाचन 2018 के प्रयोजनार्थ निकायों के सीमा विस्तार एवं वार्डों (वार्डस) के परिसीमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नगर पालिकाओं की सीमा से सटे अनेक ग्रामीण क्षेत्र शहर का रूप ले चुके हैं तथा पालिका द्वारा ऐसे कई क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। निकायों के विगत सामान्य निर्वाचन माह अप्रैल, 2013 में सम्पादित हुए थे उस समय जनगणना 2011 की जनसंख्या के आंकडे सार्वजनिक नहीं हो पाने के फलस्वरूप 2001 की जनगणना की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर निकाय के वार्डों (वार्डस) के परिसीमन किये गये थे। चूंकि राज्य की अधिकांश निकायों की जनसंख्या में विगत दशक में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप सभी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में परिसीमन की कार्यवाही की जानी होगी। परन्तु परिसीमन से पूर्व ऐसी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिनका सीमा विस्तार किया जाना आवश्यक है की सीमा विस्तार सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। सीमा विस्तार किये जाने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अतः नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सीमा विस्तार एवं वार्डों के परिसीमन से सम्बन्धी कार्यवाही उसके सम्मुख निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें –

क्र0 सं0	कार्यवाही	कार्यवाही पूर्ण करने की समय सीमा
1.	ऐसी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिनकी नगर सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण हो गया है, के सीमा विस्तार के प्रस्ताव का शासन/शहरी विकास निदेशालय को प्रेषण।	15 मई, 2017
2.	जिन नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के सीमा विस्तार किये जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके वार्डों के परिसीमन	15 जून, 2017
3.	परिसीमन के उपरान्त निर्धारित वार्डों में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या एवं स्थानों का आरक्षण **नोट–ओ0बी0सी0 की गणना हेतु सर्वे किया जायेगा**	31 जुलाई, 2017
4.	नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के निर्धारित वार्डों के परिसीमन	20 अगस्त, 2017

	वर्गों के आरक्षण के आदेश का प्रारूप का स्थानीय समाचार पत्रों में कम से कम 07 दिन की अवधि के लिए प्रकाशन।	
5.	प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / सुझाव का निस्तारण कर निकाय में वर्गों के परिसीमन व स्थानों के आरक्षण के आदेश के प्रारूप को अंतिम करना।	10 सितम्बर, 2017
6.	नगर पालिका परिषद नगर पंचायतों के वर्गों के अन्तिम परिसीमन व आरक्षण प्रस्ताव का निदेशालय को निम्न अभिलेख के साथ प्रेषण:- क- प्रपत्र-1 (वर्ग का नाम, वर्ग की सीमा तथा वर्ग में सम्मिलित मोहल्लों के नाम) ख- प्रपत्र-2 वर्गों का नाम, वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति की जनसंख्या एवं वर्ग के आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार के अनुसार: ग- नगर का नक्शा जिसमें वर्गों के दिशा-निर्देश व सीमा दर्शायी गयी है।	15 सितम्बर, 2017

उत्तराखण्ड (राज्य नगरपालिका अधिनियम, 1916)(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002)अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा (6(1)(क) के अधीन अधिसूचना संख्या-2187 दिनांक 18-07-2002 के द्वारा नगरपालिका परिषद व नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या निम्नलिखित जनसंख्या के अनुपात-आधारित नियत की गयी है:

नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत

जनसंख्या सीमा	सदस्यों की संख्या
5000 तक	4
5001 से 10,000	7
10001 से 20,000	9
20001 से 30,000	11
30001 से 40,000	13
40001 से 50,000	15
50001 से 1,00,000	20

2. प्रस्तर-1 में निर्धारित सदस्य/सभासद संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिये नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों की जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर सदस्य/वर्ग की संख्या निर्धारित की जावेगी। तदनुसार एक-एक सदस्यीय वर्गों के परिसीमन निम्नलिखित मानकों के अनुसार किये जावेंगे:-

2.1 नगरों में वर्गों को ऐसी रीति से विभाजित किया जायेगा कि यथासाध्य प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या सम्पूर्ण निकाय क्षेत्र में एक समान हो। इस उद्देश्य से नवीन वर्गों में एक मोहल्ले को यथा सम्भव अविभाजित रखा जाय तथा वर्ग में एक से अधिक मोहल्ले होने पर उनको एक दूसरे से सहयुक्त (ADJACENT) रखा जाये।

2.2 वर्ग की सीमा विस्तार की स्थिति में दिशा-निर्देश के साथ-साथ सीमाओं को नक्शे पर चिह्नित भी किया जाय।

2.3 यथा सम्भव भौगोलिक सीमायें, पक्की सड़क, रेलवे लाइन या मोहल्लों के नाम आदि से स्पष्ट की जाये।

2.4 परिसीमन प्रस्ताव में प्रति स्थान औसत प्रतिनिधित्व कुल जनसंख्या के निकटतम रखने का प्रयास किया जाय और यह अंतर 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

2.5 वर्गों के परिसीमन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत किये जावेंगे।

2.6 कक्षों की मोहल्लेवार जनसंख्या की एक सूची भी नियत प्रपत्र–2(संलग्न) में उपलब्ध करायी जाये।

2.7 परिसीमन प्रस्ताव के साथ नगर पालिका के दिशा–निर्देश और स्केल सहित मानचित्र की दो–दो प्रतियां उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे मानचित्रों में कक्ष, मोहल्ले, सड़कें, नदियां, नाले, रेलवे लाइन आदि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे और मोहल्ले के नाम भी स्पष्ट करते हुए सभी सीमायें स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी। ऐसा मानचित्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाये।

2.8 कक्ष परिसीमन के प्रस्ताव एवं आलेख प्रपत्र–1(संलग्न) में नियत प्रमाणक के साथ चार–2 प्रतियों में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. उपरोक्तानुसार कक्षों के परिसीमन में आवश्यकतानुसार आपत्तियां एवं सुझाव भी तत्काल प्राप्त किये जायेंगे और अन्ततः कक्षों के परिसीमन प्रकाशित किये जायेंगे। कक्षों के परिसीमन उक्त सिद्धान्तों के आधार पर प्रारम्भ कर दिये जायें, सम्पूर्ण कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूर्ण कर ली जाय।

4. सीमा विस्तार किये जाने वाली नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों की शासन द्वारा अन्तिम अधिसूचना निर्गत किये जाने के पश्चात् इन निकायों के परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही भी उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक पूर्ण की जायेगी।

5. आपसे अनुरोध है कि कृपया सीमा विस्तार एवं कक्ष परिसीमन विषयक उक्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–

1– सीमा विस्तार हेतु दिशा–निर्देश, 2– प्रारूप –1 व 2, 3– अधिसूचना संख्या–2107

4– स्थानों (कक्षों) के आरक्षण सम्बन्धी नियमावली

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या– 755(1)/IV- 3/2017–11(03 नि०वि०)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
4. अध्यक्ष, समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–3
संख्या– /IV(3)/2017-01(24न0नि0)/2017
देहरादून: दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अध्यादेश 2017 उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या–01 वर्ष 2017 की धारा 6 (1) (ख) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर निगम में जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित सभासद की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाती है:–

नगर निगम की जनसंख्या की सीमा	निर्वाचित पार्षदों की संख्या
1,00,001 से 2,00,000 तक	40
2,00,001 से 4,00,000 तक	60
4,00,001 से 5,00,000 तक	70
5,00,001 से 6,00,000 तक	80
6,00,001 से 7,00,000 तक	90
7,00,001 से अधिक	100

/
(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या– (1)/IV(3)/2017-01(24न0नि0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

/
(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव।

संख्या– १.५०१ (2)/IV(3)/2017-01(24न0नि0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
10. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तराखण्ड।
11. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

01.12.17

(विनोद कुमार सुमन)

अपर सचिव।

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 06 अक्टूबर, 2006 ई0

आश्विन 14, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

शहरी विकास विभाग

संख्या 3751/V/श0वि0–06–151(श0वि0)/2002

देहरादून, 06 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

प0 आ0–117

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं0 2, सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल नगर पंचायत, रुद्रप्रयाग के वर्तमान संक्रमणगत क्षेत्र को संविधान के भाग नौ (क) के प्रयोजनों के लिए लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं और अग्रेतर उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 2(9–क) (अधिनियम सं0 2, सन् 1916) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन अधिसूचित करते हैं कि अनुसूची II में प्रदर्शित उक्त लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र नगरपालिका परिषद, रुद्रप्रयाग का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची–2

नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग की सीमाएं :

ग्राम धूवेली एवं ग्राम रुमसीसारी के खसरा नं0 517 अलकनन्दा नदी घाट से पूर्व दिशा से शुरू होते हुए ग्राम रुमसीसारी के मुनारा नं0 146 से उत्तर दिशा की तरफ मुड़ते हुए ग्राम रुमसीसारी के मुनारा नं0 149 तक, मुनारा नं0 149 से सीधे उत्तर दिशा की तरफ सीधे ग्राम गुलाबराय की सीमा में मुनारा नं0 146 से 144 तक इसी के पश्चिम दिशा की तरफ ग्राम पेला के 152 तक तथा इसी मुनारा नम्बर से सीधे

उत्तर दिशा की तरफ ग्राम सादर के मुनारा नं0 157 से होते हुए खसरा नं0 401, 348 से मुनारा नं0 24 से 23 तक मुनारा नं0 23 से अलकनन्दा नदी के तट, मुनारा नं0 23 से पश्चिम दिशा की ओर मुनारा नं0 22, मन्दाकिनी नदी के तट से मुनारा नं0 156 मन्दाकिनी व अलकनन्दा नदी के तट संगम तक मुनारा नं0 153 अलकनन्दा व मन्दाकिनी के तट से ग्राम दरमोला (भाई–की–मढ़ी) के खसरा नं0 5651 पूर्व दिशा तक, इसी खसरा नं0 से उत्तर दिशा की तरफ खसरा नं0 5617 व 5614 तक, खसरा नं0 5614 से पश्चिम दिशा की ओर खसरा नं0 5525 तक, खसरा नं0 5525 से दक्षिण दिशा की ओर 5662 तक सीमा समाप्त।

ग्राम सादर के चौक संगम बाजार से अलकनन्दा नदी के किनारे–किनारे होते हुए केदारनाथ मोटर पुल से नगर पंचायत रुद्रप्रयाग की पुरानी सीमा खसरा नं0 2362 व 2409 पर मिल जाती है। खसरा नं0 2409 के किनारे होते हुए अलकनन्दा नदी के किनारे–किनारे होते हुए पूर्व की ओर खसरा नं0 3398 से प्रारम्भ होकर अलकनन्दा नदी के किनारे–किनारे होते हुए ग्राम पुनाड़ के खसरा नं0 3869 पर ओडाखाणी रैनी से ग्राम सुमेरी की सीमान्तर्गत खसरा नं0 162 से होते हुए अलकनन्दा नदी के किनारे–किनारे खसरा नं0 1,2 से होकर नं0 18, 51, 52 होते हुए खसरा नं0 851, 909, 908, 910 मुनारा नं0 23 होते हुए ग्राम तिलणी की सम्पूर्ण अन्दर खसरा नं0 83 से प्रारम्भ होकर खसरा नं0 348, 354, 255 के किनारे–किनारे खसरा नं0 288,249 से किनारे खसरा नं0 621, 623, 626 होते हुए ग्राम सुमेरपुर के खसरा नं0 4 का मिलान करते हुए खसरा नं0 178 होते हुए खसरा नं0 429 से होते हुए खसरा नं0 95 से होते हुए 603, 607 सुमेरपुर की सीमा समाप्त हो जाती है। इसी खसरा नं0 607 के दक्षिण तरफ खसरा नं0 610 होते हुए खसरा नं0 567, 568 से होते हुए 511 से मिलान करते हुए 401, 403, 128, 130, 131 से होते हुए खसरा नं0 67, 68 से होते हुए खसरा नं0 71 ग्राम तिलणी की सीमा खसरा नं0 670 से होते हुए 675, 992, 772, 352, 359, 358 होते हुए खसरा नं0 228, 229, 230, 222 से होते हुए 195, 150 सीमा मिलाते हुए 105, 88, 77 होते हुए खसरा नं0 20 मल्कटोरी से ग्राम मलेरी की सीमा खसरा नं0 937 होते हुए खसरा नं0 873, 824, 816 को मिलाते हुए खसरा नं0 819 खसरा नं0 65, 63, 24 से होते हुए खसरा नं0 7, 24, 12, 9, 8 को मिलाते हुए खसरा नं0 100 पर ग्राम सुमेरी की सीमा समाप्त।

ग्राम पुनाड़ :–

ग्राम पुनाड़ के ओडाखाणी चौक खसरा नं0 3869 दक्षिण दिशा की ओर मोटर मार्ग होते हुए खसरा नं0 3833, 3829, 3406 होते हुए 3418, 3422, 3597, 3745, 3763, 3038, 3719, 3033, से 2961, 2962 होते हुए खसरा नं0 2976 होते हुए खसरा नं0 2875, 2867, 2871, 2812, 2281 पुनाड़ गधेरा पार करते हुए वन विभाग के मुनारा नं0 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 से होकर मुनारा नं0 1 पर ग्राम पुनाड़ की सीमा समाप्त होकर मोटर मार्ग होते हुए रैतोली के खसरा नं0 641, 639, 642 होते हुए रैतोली पंचायत पैदल मार्ग के निचले किनारे–किनारे होते हुए खसरा नं0 366, 82, 79, 70, 61, 59, 81 होकर उत्तर दिशा की ओर मुड़ते हुए खसरा नं0 44, 13 पर सीमा समाप्त हो जाती है। पुनः खसरा नं0 13 से उत्तर दिशा की ओर अलकनन्दा नदी के किनारे–किनारे खसरा नं0 2, 201, 206, 208, 218 ग्राम पुनाड़ के खसरा नं0 5 से होकर खसरा नं0 2, 221, 233, 423, 793, 792, 840, 976 से होकर नगर पंचायत की पुरानी सीमा रुद्रा कॉम्पलैक्स के समीप मिल जाती है।

आज्ञा से,

अमरेन्द्र सिन्हा,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3751/V-SHA.VI.-06-151(SHA.VI.)/2002, dated October 06, 2006 for general information:

No.3751/V-SHA.-VI-06-151(SHA.VI.)/2002
Dated Dehradun, October 06, 2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under clause (2) of Article 243 Q of the Constitution read with sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (Act No. 2 of 1916) and section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Governor is pleased to specify

the present transitional area, of Nagar Panchayat, Rudraprayag as Smaller Urban Area for the purpose of part IX-A of the Constitution and is further pleased to notify under clause (d) of Article 243 (P) read with section 2(9-A) of Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (Act No. 2 of 1916) that the area included in the said Smaller Urban Area shown in Schedule-II shall be the territorial area of Nagar Palika Parishad, Rudraprayag.

SCHEDULE-II

Boundries of Nagar Palika Parishad, Rudraprayag :

Starting from east side of back of Alaknanda river of gram Dhuyali and gram, Umraula Saur from khasra no. 517 towards munara no. 146 of village Umraula Saur. From munara no. 146 towards north side upto munara no. 14 of Umraula Saur. Again from munara no. 149 straight towards north side upto boundry of village Khurad munara no. 146 to 144 and in same north side direction upto munara no. 152 of gram Bella. Again towards north side from munara no. 152 of Bella to munara no. 152 of Village Sander including from khasra no. 401, 349 to munara no. 24 to 23, from munara no. 23 to Agal Gad, from munara no. 23 to west side up to munara no. 22. From back of Mandakini river to munara no. 156 at Sangam of Alaknanda of Mandakini river. From munara no. 156 to gram Darmola khasra no, 5651 east side. From khasra no. 5651 to north side upto khasra no. 5617 to 5614. From khasra no. 5614 in west side upto khasra no. 6525 and from khasra no. 6526 to south side upto khasra no. 5662 and boundary closed.

From tok Sangam bazaar of Village Sander to side by side to Alaknanda river upto Kedarnath motor bridge where khasra no. 2362 to 2409 of old boundary of nagar panchayat Rudraprayag meet. From khasra no. 2409 to side by side of Alaknanda river towards east side upto khasra no.3396 and From khasra no. 3396 to side by side of Alaknanda river upto khasra no. 3869 of Punar. From Odapani rauli to Village Lameri with boundary from khasra no. 182 to side by side of the Alaknanda river upto khasra no.1 from khasra no.2 to khasra no.18, 51, 52 upto khasra no 851, 909, 908, 910 from munara no. 23 to with in boundary of Village Tilani, from khasra no.83 to khasra no 348, 254, 255 upto to khasra no. 4 of Village Sumarpur and continue from khasra no. 4 to khasra no. 178 and from khasra no.178 to 429 and from khasra no. 95 upto khasra no. 603, 607 of Lungai rauli and boundary closed.

From south side of khasra no. 607 to khasra no. 610 upto khasra no. 567 from khasra no. 568 to joint khasra no. 511 upto khasra no. 401, 403, 128, 130 from khasra no. 131 to khasra no. 67 from khasra no. 65 to from khasra no. 71 to from khasra no. 670 of Village Tilani. Boundary to khasra no. 676, 992, 772, 352, 359 from khasra no. 356 to khasra no. 228, 229, 230 from khasra no. 222 to khasra no. 195, 150 and joint the boundary upto khasra no. 105, 88 from khasra no. 77 to khasra no. 20 from Mandakini to with in boundary of Village Lamari khasra no. 937 to khasra no.873, 824 and to combind khasra no. 818 upto khasra no. 815 from khasra no. 65, 63, 24 to khasra no. 7, 24, 12, 9 and combind to khasra no. 5 upto khasra no. 106 and Village Lamari boundry closed.

From Village Punar Odapani Tok khasra no. 3869 west side on motor road to khasra no. 3833, 3829, 3406 to 3418, 3422, 3597, 3745, 3763, 3638, 379, 3696 to 2981 to 2962 from khasra no. 2976 to khasra no. 3875, 3867, 2971, 2612, 2261 to cross the Punar-gadhera and Forest deptt., munara no. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and munara no. 1 from motor road to khasra no. 641, 639, 642 of Village Raintoli from side by side Raintoli Panchbhaya padal road to khasra no. 356, 82, 79, 70, 61, 59, 81 and to north turn side khasra no. 44, 13 and there finished boundary. Further from khasra no. 13 north side of Alaknanda river bank khasra no. 2, 201 206, 208, 210 from khasra no. 5 of village Punar to khasra no. 2, 231, 233, 423, 782, 792, 848, 976 to Nagar Panchayat old boundary nearly Rudra Complex.

by Oder,

AMARENDRA SINHA,
Secretory.

पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) 20 [illegible] / 480-2006-100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–1
संख्या: /IV(1)2011–02(घोषणा)/2008
देहरादून: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र के रुप में "भारत का संविधान" के भाग–9क के प्रयोजनों के लिये जिला उत्तरकाशी, में नगर पंचायत, पुरोला के नाम से गठित करने की अधिसूचना जारी करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अधिसूचना संख्या 332/IV(1)/2009 –02 (घोषणा)/2008, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त प्रस्तावित नगर पंचायत पुरोला, जिला उत्तरकाशी का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची

क्र. सं.	ग्रामपंचायत /राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले तोक /मजरे का नाम	दिशावार खसरा संख्या			
			पूर्वी सीमा पर खसरा संख्या	पश्चिमी सीमा पर खसरा संख्या	उत्तरी सीमा पर खसरा संख्या	दक्षिणी सीमा पर खसरा संख्या
1	2	4	5	6	7	8
1	पुरोला / पुरोला	सम्पूर्ण ग्राम	–	542,528,529, 530,531,2843, 230,231,232, 233,234,235, 246	–	–
2	कुरड़ा / छाड़ा	ग्रामपंचायत कुरड़ा से ग्राम छाड़ा आंशिक क्षेत्र, माई का मन्दिर छाड़ा खड्ड क्षेत्र (गांव को छोड़कर)	–	–	1584ग,1547, 1536, 1534, 1448, 1449, 1466, 1468, 1465,1446ग, 1471, 1473, 1482ग	–
3	कुरडा / कुरड़ा	ग्रामपंचायत कुरड़ा का आंशिक क्षेत्र महाविद्यालय, रा.इ.का. दुकाना	–	–	5547,5548, 5576, 5574, 5556,5557, 5558, 5559, 5560,5561,	–

adhisuchna nagar panchayt purola

		तोक (मूल गांव कुरड़ा को छोड़कर)			5562,5609, 3624,3619, 3620,3621, 3809,3803, 3891,3892, 3893,4827, 4839,4924, 4923,4922, 4920,4919, 4915,4908, 4907,4896, 4898,4906, 4904,4903, 4902,4901	
4	खावलीसेरा / खावलीसेरा	सम्पूर्ण क्षेत्र	31,48,67, 70,92,93, 146,174, 175,192, 193,194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201	–	1,2,10	1883, 1884, 1894
5	देवढुंग / छिपाला	पशुचिकित्सालय, मिट्टी तेल डिपो, बी.आर.सी. भवन क्षेत्र (गांव को छोड़कर)	741,742, 777,776, 779,211, 123,748, 752,754, 771,768, 764,765, 799,797, 818,821, 829,830, 834,843, 844,845, 846,1134, 1138,1140, 1204, 1209,1159, 1130, 1131,1077, 1079, 1069,1068, 1063, 1052,1061, 1049, 1046, 1035ग	–	–	–
6	कोरना / ठकराड़ी	खाद्यान गोदाम, श्रीकालगढ	–	–	–	736,737, 738ग,728,

						316,317, 314,289, 290,275, 274,264
7	खलाड़ी / खलाड़ी	आंशिक क्षेत्र पुरानी लोक निर्माण विभाग कॉलोनी, बीज भण्डार, लीसा डिपो	–	–	–	3336ग, 3337ग, 3332ग, 3342ग, 3343ग, 3347, 3346,3353, 3260
8	पुजेली / मखना	आंशिक क्षेत्र (गांधी नग)	–	–	–	33,41,42,44 46,47,117, 116,106, 102,103, 104,148, 160,161,27

आज्ञा से,

(डा०रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या:– (1) / IV(1)2012–02(घोषणा) / 2008 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:–संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, निदेशक, शहरी विकास उत्तराखण्ड, देहरादून एवं प्रमुख सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव।

संख्या: 1198 (2) / IV(1) / 2009–02(घोषणा) / 2008 तद्दिनांक:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. अपर सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, समस्त मा०मंत्री / मा०राज्यमंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल / कुँमायूँ मण्डल।
7. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
9. निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, देहरादून।

11. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
12. वित्त आयोग प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

898

1006

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्याः /IV(1)/2011-01(घोषणा)/2008
देहरादूनः दिनांकः 08 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र के रुप में "भारत का संविधान" के भाग-9क के प्रयोजनों के लिये जिला चमोली, में नगर पंचायत, गैरसैंण के नाम से गठित करने की अधिसूचना जारी करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अधिसूचना संख्याः-64/IV(1)/2009-01 (घोषणा)/2008, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेतर अधिसूचित करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त प्रस्तावित नगर पंचायत गैरसैंण, जिला चमोली का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची

क्र0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	गाटा संख्या	राजस्व ग्राम की सीमा रेखा
1.	कुनेली लग्गा सलियाणा	1 से 542	पूरब-जंगल पश्चिम-ग्राम मरोड़ा उत्तर-कुनेली लग्गा मरोड़ा दक्षिण-ग्राम सलियाणा
2.	सलियाणा	1 से 2143	पूरब-जंगल पश्चिम-ग्राम तलगाँव उत्तर-कुनेली लग्गा सलियाणा दक्षिण-ग्वाड़।
3	जैतोली ग्वाड़	1 से 216	पूरब-जंगल पश्चिम-ग्राम सलियाणा उत्तर-जंगल दक्षिण-ग्राम गैड़, गैरसैंण
4	ग्वाड़	1 से 1412	पूरब-ग्राम गैड़ पश्चिम-ग्राम रिखोली उत्तर-ग्राम सलियाणा दक्षिण-ग्राम कोलियाणा
5	पटोड़ी लग्गा गैड़	1 से 250	पूरब-जंगल पश्चिम-ग्राम ग्वाड़ उत्तर-ग्राम सलियाणा दक्षिण-ग्राम कोलियाणा

adhisuD:\document\badoni\adhisuchana nagar panchayt.doc\dma nagar panchayt badoni

6	गैड़	1 से 1263	पूरब–जंगल पश्चिम–ग्राम ग्वाड़ उत्तर–ग्राम दिवालीखाल दक्षिण–ग्राम सौनियाणा
7	कोलियाणा	1 से 425	पूरब–ग्राम गैड़ पश्चिम–ग्राम रिखोली उत्तर–ग्राम ग्वाड़ दक्षिण–ग्राम सौनियाणा
8	धारगैड़	1 से 742	पूरब–जंगल पश्चिम–ग्राम रिखोली उत्तर–ग्राम गैड़ दक्षिण–ग्राम सौनियाणा
9	गडोली	1 से 349	पूरब–ग्राम धारगैड़ पश्चिम–ग्राम गोंवली उत्तर–ग्राम गैड़ दक्षिण–ग्राम सिलंगी
10	सौनियाणा	1 से 859	पूरब–जंगल पश्चिम–ग्राम गोंवली उत्तर–ग्राम धारगैड़ दक्षिण–ग्राम सिलंगी
11	खत्रियाणा	1 से 536	पूरब–जंगल पश्चिम–ग्राम सिलंगी उत्तर–ग्राम सौनियाणा दक्षिण–ग्राम सैंजी
12	रिखोली	1 से 623	पूरब–गैड़, गैरसैंण पश्चिम–ग्राम कुमोली उत्तर–ग्राम मरोड़ा दक्षिण–ग्राम सौनियाणा
13	गोंवली	1 से 1513	पूरब– ग्राम सौनियाणा पश्चिम–ग्राम पजियाणा उत्तर–ग्राम रिखोली दक्षिण–ग्राम सुमेरपुर
14	सिलंगी	1 से 1148	पूरब–ग्राम सिन्टोली पश्चिम–ग्राम मूसीं उत्तर–ग्राम गैड़ दक्षिण–ग्राम सैंजी
15	बौसाड़	1 से 408	पूरब–सिन्टोली पश्चिम–ग्राम मूसी उत्तर–ग्राम सौनियाणा दक्षिण–सैंजी

adhisu\D:\document\badoni\adhisuchana nagar panchayt.docchna nagar panchayt badoni

(1)

16	सैंजी	1 से 1486	पूरब–जंगल पश्चिम– ग्राम सुमेरपुर उत्तर–ग्राम बौसाड दक्षिण–ग्राम आगर लगा जिनगौड

आज्ञा से,

(डा0रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– /(1)/IV(1)/2011–01(घोषणा)/2008 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां जिलाधिकारी, चमोली, निदेशक, शहरी विकास उत्तराखण्ड, देहरादून एवं प्रमुख सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

संख्याः 1199 (2)/IV(1)/2011–01(घोषणा)/2008 तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. जिलाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड
9. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, देहरादून।
11. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. वित्त आयोग प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

adhisuD:\document\badoni\adhisuchana nagar panchayt.docbas nagar panchayt badoni

आज प्राप्त
दिनांक 20.4..2012

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–1
संख्याः 2/3 /IV(1)2012–02(घोषणा)/2009
देहरादूनः दिनांकः 17 अप्रैल, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र के रुप में "भारत का संविधान" के भाग–9क के प्रयोजनों के लिये जिला उत्तरकाशी, में नगर पंचायत, चिन्यालीसौड के नाम से गठित करने की अधिसूचना जारी करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अधिसूचना संख्याः 1218/IV(1)/2011–02(घोषणा)/2009, दिनांक 08दिसम्बर, 2011 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त प्रस्तावित नगर पंचायत चिन्यालीसौड, जिला उत्तरकाशी का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले तोक /मजरे का नाम	दिशावार खसरा संख्या			
				पूर्वी सीमा पर खसरा संख्या	पश्चिमी सीमा पर खसरा संख्या	उत्तरी सीमा पर खसरा संख्या	दक्षिणी सीमा पर खसरा संख्या
1		2	4	5	6	7	8
1	बडेथी (बिष्ट)	बडेथी	ग्राम बडेथी का सम्पूर्ण भाग	—	14,15,16, 17,18,19	498, 499, 500, 501, 502, 503, 523, 524, 525, 526, 527, 528	1321, 1322, 1325, 1326, 1334, 1335, 1339, 1341
2	नागणी बडी	नागणी बडी	धनपुर ग्राम का सम्पूर्ण भाग	122,123, 124,125, 168,169	—	—	—

(6)

3	नागणी बडी	नागणी बडी	ग्राम नागणी बडी का सम्पूर्ण भाग	—	—	—	417,418, 419,444, 445,446, 449,452
4	चिन्याली	चिन्याली	चिन्याली ग्राम का सम्पूर्ण भाग	7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905	3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 5850, 5851, 5852, 5853	4411,4412, 4414, 4419,4638, 4639,4750, 4754,7803, 7804,7805, 7806,7807, 7810	—

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्याः- 213 (1)/IV(1)2012-02(घोषणा)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, निदेशक, शहरी विकास उत्तराखण्ड, देहरादून एवं प्रमुख सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव।

संख्याः 213 (2)/IV(1)/2012-02(घोषणा)/2009 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, समस्त मा0मंत्री/मा0राज्यमंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कूर्मांचल मण्डल।

(7)

7. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
9. निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, देहरादून।
11. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
12. वित्त आयोग प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

17/4/14